SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड,देहरादून

उत्तराखण्ड राज्य मं स्थित कोषागारों
की कार्य प्रणाली पर
वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
2024—25

उत्तराखण्ड राज्य के कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन (2024–25)

प्राक्कथन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में दिये प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के लेखों सम्बन्धी कार्य किये जाने का उत्तरदायित्व भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का है तथा उनकी ओर से उत्तराखण्ड के लेखों के संकलन कार्य के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड उत्तरदायी है। कोषागार राज्य सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन के मामलों में और सरकारी लेन–देन के लेखांकन के विशिष्ट क्षेत्र में अतिमहत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोषागार आहरण एवं संवितरण अधिकारी और वित्त विभाग के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करता है। कोषागार मासिक लेखों की तैयारी एवं शुद्धता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है और इसके साथ ही लेखा एवं लेन–देन से सम्बन्धित मानक और नियमों के अनुसार वित्तीय लेन–देन को सुनिश्चित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोषागार/उपकोषागार के सुचारू रूप से संचालन हेतु राज्य सरकार ने संहितायें, नियमावलियाँ एवं प्रक्रियायें निर्धारित की हैं। कोषागारों/उपकोषागारों की ओर से इन नियमों और प्रक्रियाओं से किसी भी प्रकार का विचलन वित्तीय प्रबन्धन और जवाबदेही की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की पुस्तिका में दिए गए प्रारूपों/दिशा निर्देशों एवं खण्ड–1 की कण्डिका 20.17 के अनुसार मेरे कार्यालय द्वारा उत्तराखण्ड राज्य का वर्ष 2024–25 का कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन संकलित किया गया है। यह समीक्षा आख्या तीन भागों में तैयार की गयी है। इसके प्रथम भाग में प्रस्तावना व कोषागारों/उपकोषागारों के संगठनात्मक ढांचे का वर्णन है। द्वितीय भाग में लेखों की कमियों/त्रुटियों का समावेश है तथा तृतीय भाग में वर्ष 2024–25 में कोषागारों/उपकोषागारों के निरीक्षण के समय पायी गई त्रुटियों/अनियमितताओं का वृहत्तर रूप से विवरण दिया गया है। मैं यह आशा करता हूँ कि यह प्रतिवेदन कोषागारों एवं उपकोषागारों में अनियमितताओं एवं कमियों को दूर करने एवं राज्य सरकार के वित्तीय प्रशासन में कोषागार को एक स्वच्छ इकाई के रूप में स्थापित करने में सहायक होगा।

स्थान : देहरादून
दिनांक :11.07.2025

(मो0 परवेज आलम)
महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय सूची

क्रम सं0	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	प्राक्कथन	1
2.	मुख्य अंश	3
3.	भाग–1 प्रस्तावना	4 से 8
4.	भाग–2 लेखा विसंगतियां	9 से 13
5.	भाग–3 कोषागारों के निरीक्षण में पायी गयी कमीयाँ	14 से 30
6.	परिशिष्ट–1 से 19	31 से 72

मुख्य अंश

1.	कोषागार अतंरापृष्ठीय **(Treasury Interface)** के सृजन का उद्देश्य।	**(पैरा 2.1)**
2.	त्रैमासिक आय–व्यय के मिलान से सम्बन्धित कमियां एवं विसंगतियां।	**(पैरा 2.3)**
3.	सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित अनियमितताएं।	**(पैरा 2.5)**
4.	वर्ष **2024-25** में निरीक्षण किये गये कोषागारों का विवरण।	**(पैरा 3.1)**
5.	नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन से अंशदान की कटौती न किया जाना।	**(पैरा 3.2.1)**
6.	उच्चाधिकारियों द्वारा कोषागार का निरीक्षण न किया जाना।	**(पैरा 3.2.3)**
7.	वैयक्तिक लेखा खातों (पी0एल0ए0) से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनियमितताएँ।	**(पैरा 3.3)**
8.	द्वितालक कक्ष में रखी गई बहुमूल्य वस्तुओं के संबंध में ।	**(पैरा 3.4.1)**
9.	कोषागार के द्वितालक कक्ष में **₹** 30,71,88,310/– के गैर न्यायिक स्टाम्पों का निष्प्रयोज्य पाया जाना।	**(पैरा 3.4.2)**
10.	उत्तराखण्ड सरकार के पेंशनरों को सेवानिवृत्ति लाभों के कम या अधिक भुगतान के सम्बन्ध में।	**(पैरा 3.5.1)**
11.	अन्य राज्यों के पेंशनरों को निर्धारित चिकित्सा भत्ते का भुगतान न करना या कम दर से करना।	**(पैरा 3.5.2)**
12.	कोषागार डाटा बेस में 33 पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की जन्म तिथि को अंकित न किया जाना।	**(पैरा 3.5.3)**
13.	स्त्रोत पर आयकर की कटौती न किया जाना।	**(पैरा 3.9)**
14.	**IFMS Software** में आहरण वितरण अधिकारियों के मोबाईल नंबर एवं **NIC** ई–मेल आई डी दर्ज नहीं होना।	**(पैरा 3.10)**
15.	उपकोषागार के अन्तर्गत आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आहरित अग्रिम ए0सी0 बिल के समायोजन के संबंध में।	**(पैरा 3.11)**

भाग–एक

प्रस्तावना एवं संगठनात्मक ढांचा

कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024–25

भाग–1 : प्रस्तावना

1.0 उत्तराखण्ड कोषागार नियमावली 2003 के भाग–4 (2) के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के समस्त कोषागार/उपकोषागार निदेशक, कोषागार (पेंशन एवं हकदारी), उत्तराखण्ड के नियंत्रण में हैं। मण्डल/जिला स्तर पर कोषागारों/उपकोषागारों पर क्रमशः आयुक्त/जिलाधिकारी का प्रशासकीय नियंत्रण है। कोषागारों की स्थापना शासकीय राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से की गयी है।

प्रत्येक कोषागार कोषाधिकारी एवं उपकोषागार उपकोषाधिकारी के प्रभार में रहते हैं। सभी कोषागार अपने तथा अधीनस्थ उपकोषागारों के मासिक लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड को प्रेषित करते हैं।

1.1 उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग-6 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 384/XXVII(6)/2011 दिनांक 17.10.2011 द्वारा राज्य में कोषागारों के अधीन स्थापित उपकोषागारों को कमप्यूटरीकृत एवं ऑनलाइन करते हुये 70 उपकोषागारों को कोषागार की भाँति स्वतन्त्र रूप से बिल पारण, पेंशन भुगतान एवं अन्य सरकारी लेन–देन का कार्य करने हेतु वर्ष 2012-13 से प्राधिकृत किया गया। उपकोषाधिकारी अपने उपकोषागार के लिये आहरण वितरण अधिकारी हैं तथा उपकोषागार में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्णतः सदर कोषागार के प्रशासनिक नियन्त्रण में हैं।

1.2 संरचना/ संगठन :

उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2024-25 में कुल 19 कोषागार हैं (19 कोषागारों में एक कोषागार रानीखेत अभी स्वतंत्र प्रभार से मासिक लेखे प्रस्तुत नहीं करता है जिसके कारण लेखे प्रस्तुत करने वाले कोषागारों की संख्या केवल 18) एवं 70 उपकोषागार हैं। इसके अतिरिक्त देहरादून में स्थित एक साईबर कोषागार एवं नई दिल्ली में स्थित वेतन भुगतान एवं लेखा कार्यालय, कोषागार के रूप में कार्यरत हैं तथा लेखे प्रस्तुत करते हैं, अर्थात् राज्य में 13 जनपदीय कोषागार तथा 6 स्वतंत्र कोषागार (कुल 19 कोषागार) नई दिल्ली में 01 उत्तराखण्ड भुगतान एवं लेखा कार्यालय, देहरादून में 01 साईबर कोषागार एवं 70 उपकोषागार हैं। सभी कोषागार/उपकोषागार बैंकिग के रूप में कार्यरत है।

परिशिष्ट–(01)

उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

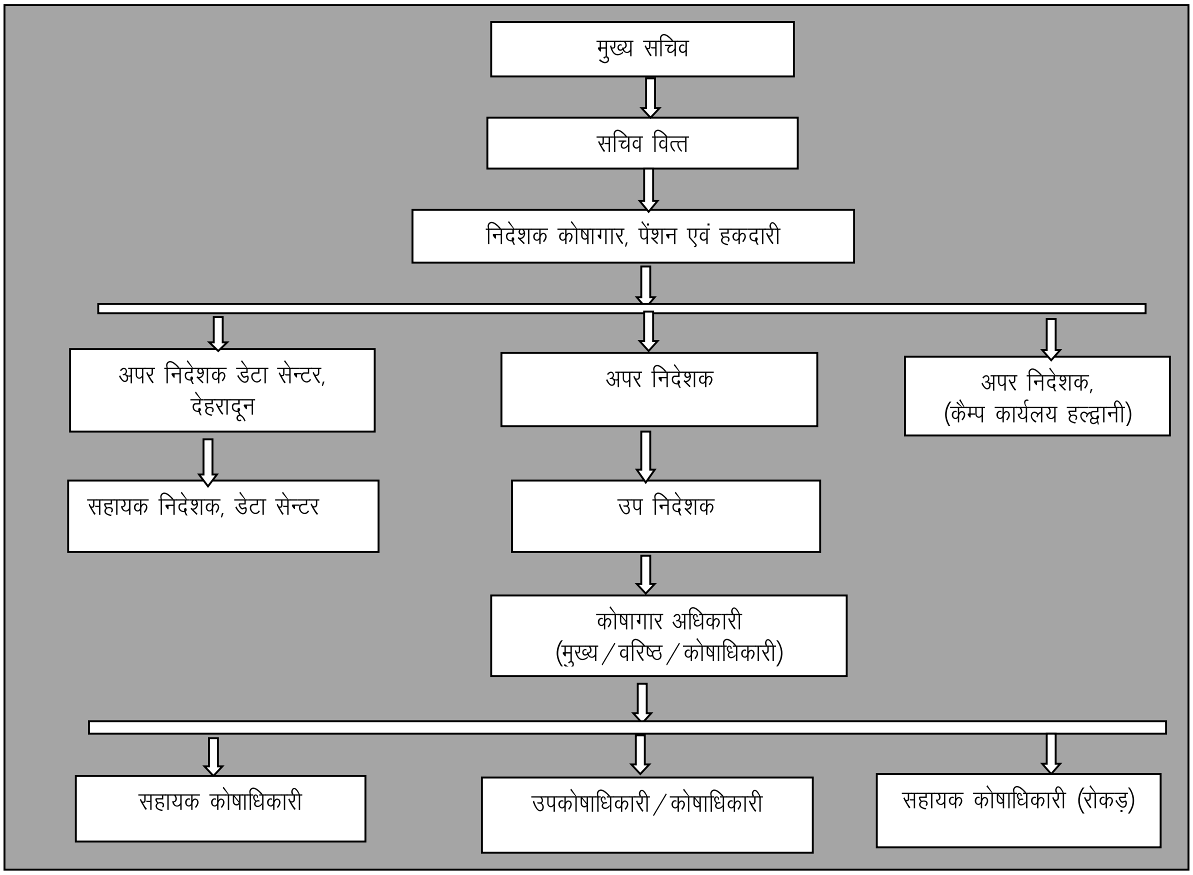

1.3 उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–6 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या 39/XXVII(6) 2013 दिनांक 18.01.2013 द्वारा राज्य के समस्त उपकोषागारों में स्थापित डबल लॉक तथा सिंगल लॉक कक्ष की व्यवस्था को वर्ष 2013-14 से समाप्त कर डबल लॉक / सिंगल लॉक / गारद रूम को सामान्य कक्षों के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है।

ऐसे उपकोषागारों में स्टाम्प एवं नकदी के भण्डारण एवं रख–रखाव हेतु बैंको में प्रयोग किये जाने वाले दो चाबी वाले सेफ का उपयोग किया जाना निर्धारित है।

ऐसे उपकोषागारों में स्थापित सेफ में रक्षित स्टाम्प, नकदी एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं की चोरी डकैती अथवा अन्य किसी कारण से नुकसान की स्थिति में इसकी प्रतिपूर्ति हेतु बीमा कम्पनियों से इसका बीमा कराया जाना निर्धारित है। समस्त ऐसे उपकोषागारों में डबल लॉक / सिंगल लॉक कक्ष की सुरक्षा हेतु तैनात पुलिस गारद को पुलिस विभाग को वापस किया जाना था।

उपकोषागारों के डबल लॉक में विभिन्न विभागों के रखे गये सील्ड पैकेट तथा डुप्लीकेट चाबी इत्यादि को निकटवर्ती कोषागार अथवा सदर कोषागार के डबल लॉक में हस्तान्तरित किया जाना निर्धारित है।

1.3.1 वर्ष **2024-25** में राज्य के कोषागारों एवं उपकोषागारों के वार्षिक निरीक्षण उत्तराखण्ड में कोविड–19 महामारी के नियमों का पालन करते हुए निर्धारित सभी 22 कोषागारों एवं 35 उपकोषागारों का निरीक्षण किया गया है।

1.3.2 कोषागारों में कर्मचारी वर्ग की स्थिति–कोषागार एवं उपकोषागार कार्यालयों में स्वीकृत कार्यबल के सापेक्ष काफी कम संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है। कोषागारों में लगभग **21.18** प्रतिशत पद रिक्त हैं। कोषागारों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पिछले तीन वर्षों की स्थिति निम्न प्रकार हैः–

वर्ष	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	रिक्त पदों की प्रतिशत
2022-23	1002	634	368	36.73
2023-24	1019	812	207	20.31
2024-25	831	655	176	21.18

1.4 निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी के अंतर्गत निम्न पदों की स्थापना की गयी है :–

1 निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी देहरादून।
2 अपर निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी मुख्यालय, देहरादून।
3 अपर निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी कैम्प कार्यालय, हल्द्वानी।
4 अपर निदेशक, वित्तीय डेटा सेंटर, देहरादून।
5 उप निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी मुख्यालय, देहरादून।
6 सहायक निदेशक, वित्तीय डेटा सेंटर, देहरादून।

1.5 राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस प्लान के अन्तर्गत एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) का कियान्वयन :

1 अप्रैल 2019 से राज्य सरकार के सभी वित्तीय कार्यों को एकीकृत और स्वचालित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली **(IFMS)** लागू की गई है। इस प्रणाली से उपयोगकर्ताओं को एक "एण्ड टू एण्ड लेनदेन" का अनुभव प्राप्त हो रहा है।

राज्य के समस्त कोषागारों/उपकोषागारों/निदेशालय स्तर पर राज्य के कार्यों के संचालन हेतु आज दिनांक तक आई0एफ0एम0एस0 से संबंधित विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम कराये गये हैं जिसके अन्तर्गत 2000 से अधिक आहरण एव संवितरण अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। राज्य के सभी कोषागारों/उपकोषागारों में स्वान (SWAN) द्वारा इन्टरनेट उपलब्ध कराया जा रहा है जोकि एन0आई0सी0 द्वारा संचालित एवं लागू किया गया है। स्वान नेटवर्क पूरी तरह से सुरक्षित है।

निदेशालय स्तर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु– आई0टी0डी0ए0 (स्वान) के माध्यम से दो Leased line-BSNL and TATA का प्रयोग किया जाता है।

कोषागार एवं उपकोषागार हेतु UK SWAN (Secure Network) BSNL के माध्यम से प्रदान किया गया है।

कोषागारों में स्थापित समस्त कम्पयूटरों में एन्टीवायरस Install किया गया है। डिजिटली हस्ताक्षर करने हेतु संबंधित के द्वारा अपनी आई0डी0 से सिस्टम पर लॉगिन किया जाता है, जिसमें पासवर्ड के साथ–साथ वन टाइम ओ0टी0पी0 की व्यवस्था है।

डिजिटल वाउचर के लिए डी0ए0सी0सी0 के साथ–साथ आधार बेस्ड ओ0टी0पी0 के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर किये जाते हैं। प्रयोगकर्ता को कार्य Assign role के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है।

आई0एफ0एम0एस0 में ई–साईन की सुविधा C-DAC द्वारा की जा रही है जोकि सुरक्षित है एवं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौघोगिकी मंत्रालय के अन्तर्गत है। DSC हस्ताक्षर हेतु e-Madhura's Digital Signing का प्रयोग किया जा रहा है।

GSTN से संबंधित प्राप्ति हेतु Memorandum of Errors (MoE) को विकसित एवं लागू किया गया है तथा भुगतान हेतु E-Kuber 2.0 का प्रयोग किया जा रहा है।

सुचारू इन्टरनेट कनेक्टिवीटी हेतु कॉपर बेस BSNLको Optical Fiber Cable से प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

आई0एफ0एम0एस0 के सुचारू रूप से संचालन हेतु समस्त कोषागारों/उपकोषागारों को कमप्यूटर, स्कैनर, प्रिन्टर, डोंगल, बायोमेट्रिक डिवाईस, यू0पी00एस0 आदि उपलब्ध कराया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के समस्त कार्यालयों के प्रयोगार्थ एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसके अन्तर्गत शासन, विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष के मध्य एकरूपता स्थापित की गई है। आई.एफ.एम.एस. सॉफ्टवेयर के प्रयोग द्वारा पारदर्शी तरीके से नियत समय में राज्य के भुगतान संभव हो पा रहे हैं तथा व्यय से सम्बन्धित लेखांकन समेकित प्रक्रिया द्वारा त्वरित गति से संकलित हो रहे हैं।

IFMS सॉफ्टवेयर के अंतर्गत निम्नलिखित Modules विकसित कर लिए गए हैः–

1. Pay Roll
2. Pension Disbursement
3. E-Payment
4. HRMS
5. Account module including Works Accounting
6. PLA
7. GIS
8. GPF
9. Virtual Treasury
10. Generic User Management
11. e-Challan
12. Chits, Firms and Socities
13. Pension sanction
14. SGHS
15. Taxation
16. NPS
17. Budget Disbursement
18. Budgets Maintenance
19. PFMS
20. AG Module
21. Generic Modules

भाग-दो

लेखा विसंगतियां

भाग-2 : लेखा विसंगतियां

2.0 लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पायी गयी कमियां/विसंगतियांः

2.1 कोषागार अंतरापृष्ठीय (Treasury Interface) प्रणाली का सृजन एवं कार्यान्वयन कुछ विशेष उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

- मैनुअल डाटा प्रविष्टि की जगह प्रत्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक डाटा हस्तान्तरण और अपलोड करना।
- वित्त एवं विनियोग लेखों को गुणात्मक एवं समयोचित ढंग से तैयार करना।
- High Risk Items पर निगरानी जैसे कि शून्य भुगतान वाउचर (Nil payment voucher), अनुदान सहायता और आकस्मिक बिलों की प्राप्ति।

2.2 मासिक लेखों में गलत / त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का लेखा संशोधन।

विभिन्न कोषागारों द्वारा वर्ष 2024-25 के मासिक लेखों में गलत/त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण को लेखा संशोधन द्वारा सुधारा गया। यदि उक्त त्रुटियों (Misclassification) को सुधारा नहीं जाता है तो इसका लेखों की शुद्धता पर अवश्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेखा संशोधन का विवरण **परिशिष्ट–(02)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(02)

2.3 त्रैमासिक आय–व्यय के मिलान से सम्बन्धित कमियां एवं विसंगतियां।

उत्तराखण्ड राज्य के बजट मैन्युअल के प्रस्तर संख्या 109 के अनुसार मुख्य नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ आहरण एवं वितरण अधिकारियों के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतान के आंकड़ों का मिलान महालेखाकार एवं कोषागार के आंकड़ों के साथ नियमतः करना निर्धारित है। वर्ष 2024-25 के लेखा संकलन की प्रकिया एवं कोषागारों के निरीक्षण में यह पाया गया कि कुछ आहरण एवं वितरण अधिकारी/मुख्य नियंत्रक अधिकारी द्वारा अपने विभागीय आंकड़ों का मिलान नहीं किया जा रहा है। अधिकांश आहरण एवं वितरण अधिकारी/मुख्य नियन्त्रक अधिकारी द्वारा या तो मिलान ही नहीं कराया गया या फिर मिलान आंशिक रूप से कराया गया है।

उत्तराखण्ड शासन के अधीन कार्यरत समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों/विभागाध्यक्षों की वित्तीय वर्ष 2024-25 में चतुर्थ त्रैमास तक मिलान आख्या–

	प्रथम त्रैमास		द्वितीय त्रैमास		तृतीस त्रैमास		चतुर्थ त्रैमास	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
पूर्ण मिलान	27	42	30	49	27	54	33	45
आंशिक मिलान	12	16	09	13	17	09	10	19
मिलान नहीं कराया	06	07	07	03	02	02	03	01
कुल	**45**	**65**	**46**	**65**	**46**	**65**	**46**	**65**
मिलान आख्या **(प्रतिशत् में)**	**86.67**	**89.23**	**84.78**	**95.38**	**95.65**	**96.92**	**93.48**	**98.46**

- वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न मुख्य नियंत्रक/बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा त्रैमासिक आय–व्यय मिलान की स्थिति **परिशिष्ट–(03)** में दर्शायी गयी है।

परिशिष्ट–(03)

- वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्रैमासिक आय–व्यय के आंकड़ों का मिलान नहीं कराने वाले मुख्य नियंत्रक / बजट नियंत्रण अधिकारियों की सूची **परिशिष्ट–(04)** में दर्शायी गयी है।

परिशिष्ट–(04)

2.4 मार्च, 2025 की मासिक लेखा समाप्ति पर तद्दिनांक तक ए0सी0 बिल के सापेक्ष डी0सी0 बिल प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

वित्तीय वर्ष	ए0सी0 बिल आहरित		डी0सी0 बिल		लंबित ए0सी0 बिल	
	Items	Amount in ₹	**Items**	**Amount in ₹**	**Items**	**Amount in ₹**
2022-23	274	9,69,64,474	270	8,89,88,702	04	79,75,772
2023-24	306	17,55,92,215	306	17,55,92,215	00	00
2024-25	399	43,38,28,925	356	18,86,40,444	43	24,51,88,481
योग	**979**	**70,63,85,614**	**932**	**45,32,21,361**	**47**	**25,31,64,253**

2.5 सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित अनियमितताएं ।

2.5.1 वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 कोषागारों द्वारा सामान्य भविष्य निधि भुगतान से सम्बन्धित 38 प्राधिकार–पत्रों को पुनः सत्यापन हेतु वापस किया गया। इसका विवरण **परिशिष्ट–(05)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(05)

2.5.2 वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान 2 कोषागारों में सामान्य भविष्य निधि के कुल 2 प्रकरण जोकि 90 प्रतिशत् से अधिक भुगतान से सम्बन्धित हैं, संज्ञान में आये हैं। इसका विवरण **परिशिष्ट–(06)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(06)

2.5.3 वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान 18 कोषागारों के कुल 171 प्रकरणों में सामान्य भविष्य निधि संख्या एवं नाम के सही अंकित न होने के कारण प्राप्ति की प्रविष्टियों का विवरण सामान्य भविष्य निधि डाटा बेस में पोस्ट नहीं किया जा सका है, जिसके कारण उक्त अवधि में कुल धनराशि **₹** 28,65,593 / –वर्तमान में असूचित (Un-Posted) में दर्ज हैं। इसका विवरण **परिशिष्ट–(07)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(07)

2.5.4 वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान 20 कोषागारों की प्राप्ति के Full want/Part want के कुल 4,075 प्रकरण प्राप्ति शैड्यूल के अभाव में वर्तमान में अनिस्तारित हैं। इसका विवरण **परिशिष्ट–(08)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(08)

2.6 वी0एल0सी0 से संबंधित कमियों/विसंगतियों का पाया जाना।

2.6.1 वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान अधिक भुगतान की वसूली को व्यय में कमी के रूप में दर्शाने के बजाय संबंधित मुख्य लेखाशीर्ष (प्राप्ति) में दर्शाया जाना। जिसका विवरण **परिशिष्ट–(09)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(09)

2.6.2 वित्तीय वर्ष 2024–25 में पूर्ण (15 अंकीय) वर्गीकरण के बिना अपूर्ण चालान/एस0ओ0आर0 पाये गए हैं। जिसका विवरण **परिशिष्ट–(10)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–**(10)**

2.7 उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृत ऋणों में कमियों/विसंगतियों का पाया जाना।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं को स्वीकृत संस्थागत ऋणों के स्वीकृति आदेशों में ऋणों से संबंधित अतिमहत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें जैसे ब्याज दर, मोरेटोरियम पीरियड, ऋण की अवधि, किश्तों की संख्या को अंकित नहीं किया जाता है।

संस्थाओं द्वारा ऋण अदायगी के चालानों पर इस कार्यालय द्वारा दिए जाने वाले एस0एल0आर0 संख्या को अंकित नहीं किया जा रहा है जिस कारण इस कार्यालय द्वारा उक्त ऋणों के लेखों के रखरखाव में असुविधा हो रही है।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा खारिज ऋणों एवं ऋण जिन्हें इक्विटी में रूपान्तरित किया जा चुका है, की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गयी है।

2.8 वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्त तक सहायक अनुदान के सापेक्ष में ₹ 3297.61 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण–पत्र हेतु लम्बित रहना।

(राशि करोड़ ₹ में)

वर्ष	सहायक अनुदान के रूप में निकासी		उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुति		उपयोगिता प्रमाण–पत्र हेतु लम्बित	
	संख्या	राशि ₹ में	संख्या	राशि ₹ में	संख्या	राशि ₹ में
2022-23 तक	271	15,01,56,12,658	260	13,05,02,07,658	11	1,96,54,05,000
2023-24 तक	222	20,14,96,15,239	111	9,41,78,52,000	111	10,73,17,63,239
2024-25 तक	174	20,27,89,10,182	00	00	174	20,27,89,10,182
योग	667	55,44,41,38,079	371	22,46,80,59,658	296	32,97,60,78,421

2.9 आर0बी0डी0 विवरण एवं वी0डी0एम0एस0 में भिन्नताएँ।

भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून द्वारा प्राप्त मासिक विवरण में एजेन्सी बैंकों की धनराशियों एवं कोषागारों से प्राप्त एजेन्सी बैंकों की वी0डी0एम0एस0 में दर्शायी गयी धनराशियों में भिन्नता पायी गई। उक्त का निपटान कार्यालय द्वारा प्रेषित सूचना के आधार पर कोषागारों द्वारा (जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक/एजेन्सी बैंक के behalf पर descrepancies ना हो) शीघ्रतम किया जाना प्रावधानित है। परन्तु कुछ कोषागारों द्वारा विसंगतियों का निपटारा अत्यधिक विलम्ब से या किया ही नहीं जा रहा है। जिस कारण इस कार्यालय की आर0बी0डी0 ब्राडशीट में माह मार्च, 2025 तक कुल विसंगति **₹** 15215546.93 केडिट एवं **₹** 2908978 डेबिट आर0बीडी0 सस्पेन्स में विद्यमान है। जिसका विवरण परिशिष्ट **(13)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–**(11)**

2.10 वैलिडेशन सेल से सम्बन्धित कमियों/त्रुटियों का पाया जाना।

2.10.1 वेतन वाउचर में एस0जी0एच0एस0 की कटौती की राशि वर्गीकरण के साथ कटौती के विवरण में शामिल नहीं है।

2.10.2 वेतन वाउचरों में जी0पी0एफ0 (मुख्य शीर्ष–8009), जी0आई0एस0 बीमा और जी0आई0एस0 बचत (मुख्य शीर्ष–8011), जी0आई0एस0–ए0आई0एस0 (मुख्य शीर्ष 8658), मकान किराया वसूली (मुख्य शीर्ष–0216), सरकारी वाहन वसूली (मुख्य शीर्ष–0070) के अन्तर्गत कटौती राशि दो बार दर्शाई गई है। जबकि इसे उसी वाउचर के बिल में एक बार दर्शाया गया है। इसलिए कटौती आंतरिक शीट और वाउचर से मेल नहीं खाती।

भाग-तीन

वित्तीय वर्ष 2024-25 में कोषागारों के निरीक्षण में पायी गई कमियाँ/त्रुटियाँ

''भाग-3: कोषागारों के निरीक्षण में पायी गई कमियां''

3.0 निरीक्षण के दौरान परिलक्षित हुई त्रुटियाँ एवं अन्य वित्तीय अनियमिततायें :–

3.1 निरीक्षक दलों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में 22 कोषागारों तथा 35 उपकोषागारों का निरीक्षण किया गया। वर्ष 2024–25 में निरीक्षण किये गये कोषागारों/उपकोषागारों का विवरण **परिशिष्ट–(12)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(12)

अनुशंसाः–निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लिखित कमियों/विसंगतियों के सन्दर्भ में कोषागार पदाधिकारी द्वारा नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य किया जाए एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का निराकरण शीघ्र कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए। इसके लिए कोषागार में निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों के समय पर निराकरण हेतु एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत आपत्तियों का निराकरण किया जा सके।

(क) वर्ष 2024–25 में लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों की स्थिति निम्नानुसार हैः–

	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	प्रस्तरों की संख्या
प्रारम्भिक शेष 2024–25	111	641
वर्ष के दौरान निरीक्षण	57	725
वर्ष के दौरान निस्तारण	49	606
वर्ष के अन्त में शेष	**119**	**760**

(ख) निरीक्षण/प्रतिवेदन में लम्बित प्रस्तरों के विगत तीन वर्षों का विवरण :–

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	प्रस्तरों की संख्या
2022–23	**14**	**37**
2023–24	**34**	**113**
2024–25	**55**	**575**
योग	**103**	**725**

(ग) निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किये जाने के उपरान्त अनुपालन आख्या नि0 को0 पेंशन एवं हकदारी की संस्तुति उपरान्त 30 दिन के भीतर प्राप्त की जानी अपेक्षित होती है परन्तु प्रायः यह विलम्ब से अथवा प्राप्त ही नहीं होती है/वांछित साक्ष्य के बिना प्राप्त होती है, जिसके कारण प्रस्तरों का निस्तारण संभव नहीं है। निम्न प्रस्तर भाग–2 **(अ)** के अन्तर्गत वर्ष 2006–07 से लंबित है। जिसके निस्तारण हेतु उचित कार्यवाही आवश्यक है।

कोषागार/उपकोषागार का नाम	फाइल संख्या	भाग–2 (अ)
ऋषिकेश	TM/TI/2009-10/25	1
नरेन्द्रनगर	TM/TI/2006-07	1
उत्तरकाशी	TM/TI/2016-17/04	1
	TM/TI/2018-19/34	1

3.2 लेखों से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनियमितताएँ:—

3.2.1 नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन से अंशदान की कटौती न किया जाना।

उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या—21/XXVII(7)/CPS/2005 दिनांक 25-10-2005 के अनुसार नई पेंशन स्कीम के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने के अगले माह से उनके (वेतन + डी0ए0) का 10 प्रतिशत् कटौती और 14 प्रतिशत् राशि सरकारी अंशदान के रूप में कर्मचारी की नई पेंशन स्कीम खाते में जमा की जानी चाहिये।

एकीकृत वेतन एवं लेखा कार्यालय प्रणाली (I.P.A.O) के अनुसार कोषागार द्वारा सभी विभागों के वेतन बिलों का आहरण किया जा रहा है। अतः कोषागार का यह दायित्व है कि नवनियुक्त सभी कर्मचारियों से प्रथम वेतन आहरण के समय ही नयी पेंशन स्कीम के आवेदन प्राप्त करके ''खाता संख्या'' का आवंटन करायें परन्तु निरीक्षण में यह पाया गया कि विभिन्न कोषागारों द्वारा इस दायित्व को नहीं निभाया जा रहा है। अतः कई वर्ष बीत जाने के बाद भी कोषागार स्तर पर नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत देय राशि की कटौती नहीं की जा रही है।

परिशिष्ट—(13)

3.2.2 नियोक्ता (राज्य सरकार) द्वारा देय एन0पी0एस0 धनराशि को कार्मिकों की अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति से तीन माह पूर्व बंद किया जाना।

कोषागार रानीखेत से भुगतान किए जा रहे निम्नलिखित दो कार्मिकों के वेतन से एन.पी.एस. में कार्मिक के अंशदान की कटौती तथा नियोक्ता (राज्य सरकार) द्वारा देय उनकी अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति से तीन माह पूर्व बंद कर दी गई है।

PENSION FUND REGULATRY AND DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 2013 के CHAPTER VII MISCELLANEOUS के अन्तर्गत पैरा 3.7 stoppage of last month's deductions by employer- The monthly contribution consisting of both the employer and employee, as may be applicable and that is required to be deducted for crediting to the subscribers account under the National Pension System by the employers from the salary of such subscriber shall be stopped at least one month prior to the date of superannuation. **The employer shall pay such eligible contributions directly to the employee subscriber along with the monthly salary or remuneration that such subscriber is eligible to receive from the employer.**

Substituted by PFRDA (Exits and Withdrawals under the4 National Pension System) First Amendment) Regulations, 2017 w.e.f. 10-085-2017. Prior to the substitution, it read as under: "Stoppage of last three months deductions by employer-Contributions deductions under the National Pension System made by the employers from the salary of such subscriber shall be stopped at least three months prior to the date of superannuation, as may be applicable, to ensure that the exit and withdrawal of the subscriber is smooth and effective. The employer shall settle directly the said last three month's contributions at their end with the concerned employee." जिसका विवरण निम्न हैः—

कार्मिक का नाम/कार्मिक कोड	अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति की तिथि	कटौती बन्द करने का माह
श्री उमराव सिंह 4600413M01697	31.12.2023	October 2023
श्री भीम सिंह 42600413M01514	31.10.2023	August 2023

3.2.3 उच्चाधिकारियों द्वारा कोषागारों का निरीक्षण न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–2 के नियम 469–क (ख) के अनुसार निदेशक, कोषागार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोषागार/लेखा निदेशालय के किसी अधिकारी द्वारा प्रत्येक कोषागार का निरीक्षण वित्तीय वर्ष में दो बार किया जाना चाहिए। इनमें से एक निरीक्षण विस्तृत होना चाहिए जो कोषाधिकारी को सूचना देकर किया जाना चाहिए तथा दूसरा निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस पर आकस्मिक रूप से किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–2 के परिशिष्ट–(21) के अनुसार जिला कोषागार का निरीक्षण वर्ष में एक बार प्रभाग के आयुक्त और जिलाधिकारी द्वारा किया जाना प्रावधानित है। वर्ष के दौरान कोषागारों के निरीक्षण में पाया गया कि अधिकतम कोषागारों/उपकोषागारों का उच्चाधिकारियों द्वारा उक्त नियमों के अनुसार निरीक्षण नहीं किया गया। जिसका विवरण **परिशिष्ट–(14)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(14)

3.3 वैयक्तिक लेखा खातों (पी0एल0ए0) से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनियमितताएँ।

3.3.1 तीन वर्षों से अधिक समय से असंचालित पी0एल0ए0 खातों को बंद न करने के संबंध में।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 17/21/XXVII(10)/2015/2019 दिनांक 08.01.2020 के बिन्दु 4 के अनुसार यदि किसी वैयक्तिक लेखा खाते में 03 वर्ष तक कोई भी लेन–देन न हो, तो ऐसे खाते को बंद करने हेतु कोषाधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुरोध किया जाएगा। यदि लिखित अनुरोध की तिथि से 03 माह तक सक्षम प्राधिकारी का उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो कोषाधिकारी द्वारा महालेखाकार के परामर्श से यदि खाते में कोई धनराशि अवशेष है, तो उसे सुसंगत लेखाशीर्ष के अंतर्गत Minor Head-911 Sub Head-03 में जमा कर बंद कर दिया जाएगा। उक्त आदेश के बिन्दु सं0 6 (2) के अनुसार अगर किसी धनराशि का लेखाशीर्ष ज्ञात न हो तो सक्षम अधिकारी से इस आशय का लिखित अनुरोध किया जाएगा कि इस धनराशि को लेखाशीर्ष 2075–00–911–03–00 में जमा कर खाते को बंद किया जाएगा।

कोषागार देहरादून में PLA की जांच करने पर संज्ञान में आया कि PLA Code 863401- Akshay Urja Vikas Abhikaran (UREDA), देहरादून दिनांक 27.01.2021 से उक्त खाते में धनराशि ₹ 2,00,45,428/– सुसंगत लेखाशीर्ष में अवशेष पड़ी है।

3.3.2 वार्षिक व्यपगत जमा का विवरण महालेखाकार को प्रेषित न किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के पैरा 351(A) एवं 352(A) के अनुसार जमा मद (Deposit) में भुगतान यदि तीन वर्ष के समयावधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो ऐसी जमा राशि को शासकीय खाते में जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के पश्चात् व्यपगत (Lapse) किया जाना प्रावधानित है। तद्उपरान्त इसका भुगतान महालेखाकार के स्वीकृति आदेश पर किया जाता है। कोषागार निरीक्षण में पाया गया कि इस नियम का पालन विभिन्न कोषागरों द्वारा नहीं किया जा रहा है।

उदाहरण स्वरूप कोषागार देहरादून के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31/03/2022 31/03/23 एवं 31/03/2024 को समाप्त वित्तीय वर्षो से संबंधित व्यपगत विवरण महालेखाकार को प्रेषित नहीं किया गया है जबकि कोषागार के अभिलेखों के अनुसार मुख्यशीर्ष 8443–00–104 (Civil Court Deposits) में निम्न धनराशि व्यपगत होनी थीः–

देहरादून			
Sl. No.	Deposit Month	Lapse Month	Amount in (**₹**)
1.	Nil	Nil	2,60,82,274
		Total	**₹ 2,60,82,274**

3.3.3 PLA खातों के रख–रखाव में अनियमितता के संबंध में।

वित्तीय हस्त पुस्तिका Vol-V Part-II के अनुसार व्यक्तिगत खातों में होने वाले लेन–देनों का खाता प्रत्येक कोषागार में रखा जाएगा एवं प्रत्येक व्यक्तिगत खातों के अवशेषों को verified किया जाएगा। कोषागार ऊधमसिंहनगर के PLA रजिस्टर की जांच मे पाया गया है कि IFMS से व्यक्तिगत खातों के संबंध में प्राप्त होने वाले विवरण में निम्नलिखित पी0एलए0 खातों में अंतिम अवशेष (CB) अगले वर्ष के प्रारम्भिक अवशेष (OB) से भिन्न हैं। यह त्रुटी विगत वर्षों से लगातार हो रही है। जिसका विवरण निम्न हैः–

1. PF Basic (881901)

क्र0सं0	2021–22		2022–23		2023–24	
	प्रारम्भिक अवशेष	अन्तिम अवशेष	प्रारम्भिक अवशेष	अन्तिम अवशेष	प्रारम्भिक अवशेष	अन्तिम अवशेष
IFMS में अंकित विवरण के अनुसार	186542043	150266787	150085803	135321780	135321780	127766803
रजिस्टर में दर्ज विवरण के अनुसार			153466924	138702901	138702901	131147924

2. G.B. Pant Agriculture University (PF)(887501)

क्र0सं0	2021–22		2022–23		2023–24	
	प्रारम्भिक अवशेष	अन्तिम अवशेष	प्रारम्भिक अवशेष	अन्तिम अवशेष	प्रारम्भिक अवशेष	अन्तिम अवशेष
IFMS में अंकित विवरण के अनुसार	1620999260	1742121594	1742121594	1608272964	1608272964	1744896186
रजिस्टर में दर्ज विवरण के अनुसार		1742121594	1742163594	1608314964	1608314964	1744938186

3.3.4 वैयक्तिक लेखा खातों का पूर्ण वर्गीकरण एवं पदनाम इत्यादि का आई0एफ0एम0एस0 सॉफ्टवेयर में न दर्शाया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर 340(बी)(2) एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 17/21xxvii(10)/2015/2019 दिनांक 08.01.2020 के नियमानुसार व्यक्तिगत लेखा खाता शासन की विशेष स्वीकृति से महालेखाकार के परामर्श से सरकारी सेवकों के पदनाम से खोले जाते हैं।

उपकोषागार बाजपुर, उपकोषागार गरदपुर, कोषागार नैनीताल एवं कोषागार उधमसिंहनगर के जमा लेखों के निरीक्षण में पाया गया कि मुख्य लेखाशीर्ष 8338, 8448 (स्थानीय निधि जमा) के अंतर्गत निम्न वैयक्तिक लेखा खाते संचालित किये जा रहे हैं। जिनका विवरण निम्न हैः–

क्रम सं0	कोषागार/उपकोषागार का नाम	वैयक्तिक लेखा खाते का नाम	अवशेष धनराशि ₹ में (दि0 31.03.2024)
1.	बाजपुर	नगर पालिका परिषद, बाजपुर	1,64,55,745
2.		नगर पंचायत, केलाखेड़ा	1,08,14,915
3.		नगर पंचायत, सुल्तानपुर पटटी	1,17,01,214
		योग	**3,89,71,874**
1.	गदरपुर	नगर पालिका परिषद, गदरपुर	5,73,05,527

2.		नगर पंचायत, दिनेशपुर	1,16,37,534
3.		नगर पंचायत, गुलरभोज	74,55,095
		योग	7,63,98,156
1.	नैनीताल	पी0 एफ0 बेसिक	40,60,93,852
2.		पी0एफ0 ऐजुकेशन एडेड	66,09,66,098
3.		कुमाऊँ यूनिवर्सिटी (पी0एफ0)	85,36,55,427
4.		डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड	42,02,600
5.		डिस्ट्रिक्ट बोर्ड	6,63,045
6.		नगर पंचायत, भीमताल	2,64,53,950
7.		नगर पालिका, भवाली	1,40,18,399
8.		नगर पंचायत, कालाढूंगी	1,68,02,330
9.		नगर पंचायत, लालकुआँ	3,58,03,969
10.		नगर पालिका, नैनीताल	2,59,44,823
11.		नगर निगम, हल्द्वानी	20,66,31,162
12.		डी0आर0डी0ए0	7,98,74,489
13.		कुमाऊँ सूनिवर्सिटी, नैनीताल	68,95,000
		योग	2,33,80,05,144
1.	उधमसिंह नगर	शुगर केन	4,08,56,992
2.		पी0एफ0 बेसिक	15,02,66,787
3.		जी0बी पन्त एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पी0एफ0	1,74,21,21,594
4.		जिला निधि	4,22,37,691
5.		नगर निगम	83,49,651
6.		जी0बी पन्त एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी	31,15,15,139
7.		जिला विकास निधि	16,62,56,673
		योग	2,46,16,04,527
		कुल योग	4,91,49,79,701

3.3.5 पी.एल.ए. प्रशासक/आहरण वितरण अधिकारी के खाते में सीधे भुगतान किया जाना।

शासन के शासनादेश संख्या 117/XXV(6)-B-588.2014/ 2011 दिनांक 02.05.2014 के द्वारा वैयक्तिक लेखा खाता पी.एल.ए. से संबंधित मैनुअल प्रकिया को ई–मोड में किये जाने के आदेश दिये गये हैं। उक्त शासनादेश में कोषागार से संबंधित दायित्वों में पी.एल.ए. प्रशासक/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान की एडवाईज जेनरेट करने के पश्चात् कोषागार में प्रस्तुत करने पर एस.बी.आई. बैंक की सी.आई.एन.बी. सुविधा से सीधे लाभार्थी के खाते में धनराशि आन–लाईन स्थानान्तरित की जायेगी। प्रत्येक पी.एल.ए. प्रशासक द्वारा विगत माह के लेन–देन का मिलान कोषागार लेखे से अगले माह की 10वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से कराया जायेगा। मिलान न करने पर कोषागार द्वारा उनके लेन–देन मिलान न होने तक बन्द करने संबंधी आदेश निर्गत किये गये हैं। अतः कोषागार नई टिहरी, कोषागार रूद्रप्रयाग, उपकोषागार अगस्त्यमुनि, कोषागार चमोली एवं कोषागार देहरादून के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024–25 में आई.एफ.एम.एस. से जेनरेट पी.एल.ए. वाउचरों की नमूना जॉच में पाया गया कि भुगतान वाउचरों से आहरित धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में न भेजकर पी.एल.ए. प्रशासक के खाते में स्थानान्तरित की जा रही है। जिनका विवरण निम्नलिखित है:–

उपकोषागार नई टिहरी					
क्रम सं0	लेखाशीर्ष	वाउचर संख्या	दिनांक	पी0एल0ए0 प्रशासक का नाम/आहरण वितरण अधिकारी	धनराशि (₹) में
1.	8448—00—102	बी0 84480097	08.01.2024	नगर पालिका परिषद, नई टिहरी।	46,14,349
2.	8448—00—102	बी0 84480110	08.01.2024	नगर पालिका परिषद, नई टिहरी।	5,63,802
3.	8448—00—102	बी0 84480008	02.02.2024	नगर पालिका परिषद, नई टिहरी।	54,93,030
4.	8448—00—102	बी0 84480200	25.03.2024	श्री देव सुमन विश्वविद्यालय टिहरी गढ़वाल।	2,04,00,000
				योग	3,10,71,181
कोषागार रूद्रप्रयाग					
1.	8448—00—102	बी0 84480035	20.04.2023	नगर पंचायत, तिलवाड़ा।	1,39,152
2.	8448—00—102	बी0 84480098	22.01.2024	नगर पंचायत, तिलवाड़ा।	1,93,956
3.	8448—00—102	बी0 84480017	06.02.2024	नगर पंचायत, तिलवाड़ा।	1,90,911
4.	8448—00—102	बी0 84480020	07.03.2024	नगर पंचायत, तिलवाड़ा।	1,61,085
5.	8448—00—102	बी0 84480001	01.01.2024	नगर पंचायत, रूद्रप्रयाग।	15,66,765
6.	8448—00—102	बी0 84480047	14.03.2024	नगर पंचायत, रूद्रप्रयाग।	14,04,460
				योग	36,56,329
उपकोषागार अगस्त्यमुनि					
1.	8448—00—102	बी0 84480054	10.10.2023	नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि ।	19,528
2.	8448—00—102	बी0 84480104	24.01.2024	नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि ।	4,77,665
3.	8448—00—102	बी0 84480016	03.02.2024	नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि ।	4,99,298
4.	8448—00—102	बी0 84480013	06.03.2024	नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि ।	4,82,798
				योग	1,47,92,89
कोषागार चमोली					
1.	8448—00—102	बी0 84480012	15.04.2023	नगर पालिका परिषद, चमोली	24,87,021
2.	8448—00—102	बी0 84480032	08.05.2023	नगर पालिका परिषद, चमोली	27,56,035
3.	8448—00—102	बी0 84480055	03.06.2023	नगर पालिका परिषद, चमोली	27,63,459
4.	8448—00—102	बी0 84480072	03.06.2023	नगर पालिका परिषद, चमोली	5,01,184
5.	8448—00—102	बी0 84480055	05.07.2023	नगर पालिका परिषद, चमोली	26,46,831
6.	8448—00—102	बी0 84480082	07.07.2023	नगर पालिका परिषद, चमोली	9,99,810
7.	8448—00—102	बी0 84480056	05.08.2023	नगर पालिका परिषद, चमोली	3,98,350
8	8448—00—102	बी0 84480057	05.08.2023	नगर पालिका परिषद, चमोली	2,99,613
9.	8448—00—102	बी0 84480058	05.08.2023	नगर पालिका परिषद, चमोली	27,22,370
10.	8448—00—102	बी0 84480117	12.09.2023	नगर पालिका परिषद, चमोली	26,62,920
11.	8448—00—102	बी0 84480125	21.09.2023	नगर पालिका परिषद, चमोली	2,57,595
12.	8448—00—102	बी0 84480153	29.09.2023	नगर पालिका परिषद, चमोली	74,568
13.	8448—00—102	बी0 84480046	06.10.2023	नगर पालिका परिषद, चमोली	27,04,204
14.	8448—00—102	बी0 84480100	09.10.2023	नगर पालिका परिषद, चमोली	2,57,595
15.	8448—00—102	बी0 84480140	13.10.2023	नगर पालिका परिषद, चमोली	63,105
16.	8448—00—102	बी0 84480020	08.11.2023	नगर पालिका परिषद, चमोली	26,66,095
17.	8448—00—102	बी0 84480021	08.11.2023	नगर पालिका परिषद, चमोली	2,57,595
18.	8448—00—102	बी0 84480022	08.11.2023	नगर पालिका परिषद, चमोली	36,763
19.	8448—00—102	बी0 84480098	27.11.2023	नगर पालिका परिषद, चमोली	3,45,792

20.	8448—00—102	बी0 84480087	04.12.2023	नगर पालिका परिषद, चमोली	2,44,815
21.	8448—00—102	बी0 84480088	04.12.2023	नगर पालिका परिषद, चमोली	36,763
22.	8448—00—102	बी0 84480089	04.12.2023	नगर पालिका परिषद, चमोली	27,04,204
23.	8448—00—102	बी0 84480070	08.01.2024	नगर पालिका परिषद, चमोली	26,03,624
24.	8448—00—102	बी0 84480071	08.01.2024	नगर पालिका परिषद, चमोली	2,85,214
25.	8448—00—102	बी0 84480072	08.01.2024	नगर पालिका परिषद, चमोली	36,763
26.	8448—00—102	बी0 84480022	05.02.2024	नगर पालिका परिषद, चमोली	36,763
27.	8448—00—102	बी0 84480036	07.02.2024	नगर पालिका परिषद, चमोली	8,19,663
28.	8448—00—102	बी0 84480037	07.02.2024	नगर पालिका परिषद, चमोली	1,61,596
29.	8448—00—102	बी0 84480043	07.02.2024	नगर पालिका परिषद, चमोली	26,41,428
30.	8448—00—102	बी0 84480047	07.02.2024	नगर पालिका परिषद, चमोली	13,33,167
31.	8448—00—102	बी0 84480049	07.02.2024	नगर पालिका परिषद, चमोली	2,85,214
32.	8448—00—102	बी0 84480052	04.03.2024	नगर पालिका परिषद, चमोली	26,64,019
33.	8448—00—102	बी0 84480056	04.03.2024	नगर पालिका परिषद, चमोली	2,85,214
34.	8448—00—102	बी0 84480058	04.03.2024	नगर पालिका परिषद, चमोली	36,763
				योग	**3,90,76,115**
		कोषागार देहरादून			
1.	8448—00—102	बी0 84480216	04.03.2024	नगर निगम (एस0एफ0सी0)	6,90,00,000
2.	8448—00—102	बी0 84480207	04.03.2024	नगर पालिका परिषद (एस0एफ0सी0)	10,21,785
3.	8448—00—102	बी0 84480217	04.03.2024	नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश (एस0एफ0सी0)	1,70,00,000
		बी0 84480411	18.03.2024		19,47,000
		बी0 84480516	26.03.2024		1,36,922
		बी0 84480623	26.03.2024		1,91,971
4.	8448—00—102	बी0 84480037	02.03.2024	उत्तराखण्ड स्टेट काउन्सिल फोर साईन्स एण्ड टैक्नॉलोजी, देहरादून।	5,75,545
		बी0 84480151	02.03.2024		10,32,356
		बी0 84480356	18.03.2024		1,29,736
		बी0 84480684	26.03.2024		10,32,356
		बी0 84480726	26.03.2024		5,75,545
5.	8448—00—102	बी0 84431262	26.03.2024	खादी एवं ग्रामोघोग बोर्ड, देहरादून।	58,98,109
				योग	**9,85,41,325**
				कुल योग	**17,38,24,239**

3.4 द्वितालक कक्ष में विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में।

3.4.1 द्वितालक कक्ष में रखे गए बहुमूल्य वस्तुओं का नियमित वार्षिक सत्यापन नहीं किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अनुच्छेद 38(ग) के प्रावधानों के अनुसार विभागीय अधिकारी अपने विभाग की मूल्यवान वस्तुओं को जिलाधिकारी से आदेश प्राप्त कर सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कोषागार के द्वितालक कक्ष में सील बन्द पैकेट के रूप में रख सकते हैं तथा ऐसे सभी पैकेटों का प्रति वर्ष मई माह में संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा सत्यापन कर पुनः सुरक्षित द्वितालक कक्ष में सील बन्द कर रखा जाना चाहिए। निरीक्षण किये गए वर्ष के दौरान निम्नलिखित कोषागारों के द्वितालक कक्ष में रखी बहुमूल्य वस्तुओं का वार्षिक सत्यापन सम्बन्धित विभाग/अधिकारियों द्वारा न करके नियमों का अनुपालन नहीं किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क्रमांक	कोषागार / उपकोषागार का नाम
1.	देहरादून
2.	नई टिहरी
3.	अल्मोड़ा
4.	रूद्रप्रयाग
5.	पिथौरागढ़

3.4.2 कोषागार के द्वितालक कक्ष में ₹ 30,71,87,760/— गैर न्यायिक स्टाम्पों का निष्प्रयोज्य पाया जाना।

कोषागार हल्द्वानी, उपकोषागार लैन्सडाउन, कोषागार अल्मोड़ा, कोषागार उत्तरकाशी, कोषागार पिथौरागढ़, कोषाागर चमोली, कोषागार देहरादून एवं उपकोषागार देघाट में विभिन्न मूल्य वर्ग के कुल **₹** 30,71,87,760/— का गैर न्यायिक स्टाम्प (Non Judicial Stamp) का भण्डारण है। जिसका विवरण निम्नवत् हैः—

कोषागार / उपकोषागार का नाम	एक स्टाम्प का मूल्य (₹)	स्टाम्प की संख्या	स्टाम्प की कुल धनराशि (₹) में
हल्द्वानी	500	3100	15,50,000
	1000	32300	3,23,00,000
	5000	5400	2,70,00,000
	10000	700	70,00,000
	15000	900	1,35,00,000
		योग	**8,13,50,000**
लैन्सडाउन	20	3	60
	50	222	11,100
	500	1268	6,34,000
	1000	2899	28,99,000
	5000	136	6,80,000
		योग	**42,24,160**
अल्मोड़ा	500	1646	8,23,000
	1000	5027	50,27,000
	10000	1284	1,28,40,000
	15000	2364	3,54,60,000
	20000	273	54,60,000
		योग	**5,96,10,000**
उत्तरकाशी	10	20	200
	100	03	300
	500	2535	12,67,500
	10000	8534	85,34,000
	5000	4093	2,04,65,000
	10000	4131	4,13,10,000
	20000	621	1,24,20,000
		योग	**8,39,97,000**
पिथौरागढ़	500	3080	15,40,000
	1000	3350	33,50,000
	5000	420	21,00,000

	10000	300	30,00,000
	15000	400	60,00,000
	20000	310	62,00,000
	25000	300	75,00,000
		योग	**2,96,90,000**
चमोली	500	6802	34,01,000
	1000	4887	48,87,000
	5000	309	15,45,000
		योग	**98,33,000**
देहरादून	10	5	50
	500	5821	29,10,500
	1000	963	9,63,000
	10000	3017	3,01,70,000
	15000	296	44,40,000
		योग	**3,84,83,550**
देघाट	10	5	50
		योग	**50**
			कुल योग ₹ **30,71,87,760**

उत्तराखण्ड राज्य में ई–स्टाम्प व्यवस्था लागू होने के बावजूद कोषागार/उपकोषागार में उपरोक्त विवरणानुसार विभिन्न श्रेणी के स्टाम्प अतिरिक्त मात्रा में द्वितालक कक्ष में विद्यमान हैं उल्लेखनीय है कि वर्तमान में ई–स्टाम्प ऑनलाइन भी जारी किये जा रहे हैं। उक्त निष्प्रयोज्य स्टाम्पों की बिक्री कोषागार से नहीं होने से निस्तारण की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

3.4.3 कोषागार के द्वितालक कक्ष में **Cheque Books** का अनुपयोगी पाया जाना।

01.04.2019 से राज्य में IFMS प्रणाली लागू होने के उपरान्त Cheque Books का कोई उपयोग नहीं है। उक्त Cheque Books को नियमानुसार Dispose off किया जाना जरूरी है, ताकि किसी भी दुरूपयोग से बचा जा सके। कोषागार देहरादून के निरीक्षण में कुल **3323.5** Cheque Books अनुपयोगी पायी गयी हैं। जिनका विवरण निम्नवत् है:–

कोषागार/उपकोषागार का नाम	क्रम संख्या	विवरण	मदों की संख्या
देहरादून	**1.**	Forest Department C.C.L. Cheque Books D.C.L. Cheques Books	 581 538
	2.	Irrigation Department C.C.L. Cheque Books D.C.L. Cheques Books	 266 531
	3.	Minor Irrigation Department C.C.L. Cheque Books D.C.L. Cheques Books	 101.5 185

	4.	PWD C.C.L. Cheque Books D.C.L. Cheques Books	 215 575
	5.	Rural Works Department C.C.L. Cheque Books D.C.L. Cheques Books	 90 241
		योग	**3323.5**

3.4.4 कोषागार में डबल लॉक के बाहर स्थापित अग्निशमन उपकरणों की ससमय रिफलिंग न करवाया जाना।

उपकोषागार/कोषागार में आग लगने की स्थिति से निपटने हेतु पर्याप्त मात्रा में अग्निशमन यंत्र व्यवस्थित होने चाहिए। कोषागार के महत्वपूर्ण अभिलेखों/उपकरणों (कम्प्यूटर आदि) तथा बहुमूल्य मदों/स्टाम्पों की सुरक्षा हेतु उक्त से सम्बन्धित सभी कमरों की बाहरी दीवारों पर अग्निशमन अधिकारी की अनुशंसानुसार अग्निशमन यंत्र स्थापित किए जाने चाहिए जिससे अचानक आग लगने की स्थिति में इनका प्रयोग कर कोषागार की आग से सुरक्षा की जा सके। परन्तु निम्न उपकोषागारों/कोषागारों में स्थापित अग्निशमन यंत्रों को रिफलिंग की समाप्ति तिथि निकल जाने के पश्चात् भी रिफलिंग नहीं करवायी गयी जो कि बहुत गम्भीर लापरवाही है तथा ऐसी स्थिति में आगजनी की घटना में काफी हानि होने की प्रबल संभावना है।

क्रमांक	कोषागार/उपकोषागार का नाम
1	बड़कोट
2	हरिद्वार
3	लमगड़ा
4	सोमेश्वर
5	उत्तरकाशी
6	देघाट
7	हरिद्वार सदर
8	सतपुली
9	धूमाकोट

उल्लेखनीय है कि दिनांक 05.10.2010 को कोषागार नैनीताल भवन में हुए भीषण अग्निकांड के कारण कोषागार में अभिलेखों एवं भवन को भारी नुकसान पूर्व में हो चुका है।

3.4.5 द्वितालक कक्ष की सुरक्षा हेतु निर्धारित पुलिस गार्ड के सापेक्ष कम नियुक्ति/तैनाती होना।

कोषागारों के द्वितालक/एकतालक कक्ष की सुरक्षा से सम्बन्धित स्वीकृत/निर्धारित गार्ड का पुलिस अधीक्षक का आदेश एवं गार्डवीट की जांच में पाया गया कि उक्त द्वितालक कक्ष की सुरक्षा हेतु स्वीकृत बीट संतरी के सापेक्ष कम संतरियों की तैनाती पायी गई जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क्रमांक	कोषागार/उपकोषागार का नाम	स्वीकृत बीट संतरी के पद	तैनात बीट संतरियों की संख्या
1.	बागेश्वर	01 हैड कांस्टेबल एवं 04 सिपाही	01 हैड कांस्टेबल एवं 03 सिपाही
2.	हरिद्वार	01 मुख्य आरक्षी 04 आरक्षी	02 आरक्षी
3.	लैन्सडाउन	एक गार्द कमाण्डर एवं 04 आरक्षी	02 आरक्षी

4.	नई टिहरी	01 हैड कांस्टेबल एवं 04 कांस्टेबल	03 कांस्टेबल
5.	अल्मोड़ा	01 मुख्य आरक्षी एवं 04 आरक्षी	02 आरक्षी
6.	पौड़ी गढ़वाल	01 हैड कांस्टेबल एवं 04 सिपाही	01 हैड कांस्टेबल एवं 01 सिपाही
7.	उधमसिंह नगर	01 मुख्य आरक्षी एवं 04 आरक्षी	1 मुख्य आरक्षी तथा 02 आरक्षी
8.	पिथौरागढ़	02 गार्ड कमाण्डर एवं 07 कांस्टेबल	01 गार्ड कमाण्डर एवं 04 कांस्टेबल

पुलिस गार्ड की मानक के सापेक्ष कम तैनाती द्वितालक कक्ष की सुरक्षा के प्रति उदासीनता एवं जोखिम भरा कदम है।

3.5 पेंशन भुगतान से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनियमितताएं ।

3.5.1 उत्तराखण्ड सरकार के पेंशनरों को सेवानिवृत्त लाभों के कम या अधिक भुगतान के सम्बन्ध में।

सेवानिवृत्त लाभों की गणना एवं भुगतान सामान्यतः निर्धारित पेंशन नियमों के अधीन सुनिश्चित कराना, पेंशन भुगतान आदेश जारीकर्ता एवं सम्बन्धित कोषागार का दायित्व है तथा सेवानिवृत्त लाभों के अधिक एवं कम भुगतान की सम्भावनाओं को दूर कराना सम्बन्धित कोषागार का दायित्व है। इस सम्बन्ध में कोषागार द्वारा समस्त सेवानिवृत्त लाभों से सम्बन्धित नियमों एवं इस विषय में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार भुगतान करना अपेक्षित है।

निरीक्षण में यह पाया गया कि विभिन्न कोषागारों द्वारा सेवानिवृत्त लाभों जैसे कि पेंशन, उपादान एवं राशिकरण का भुगतान करते समय निर्धारित नियमों एवं शासनादेशों का पालन नहीं किया गया जिसके कारण सेवानिवृत्त लाभों के कई प्रकरणों में अधिक भुगतान किया गया और कई प्रकरणों में कम भुगतान किया गया। विवरण **परिशिष्ट–(15)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(15)

3.5.2 अन्य राज्यों के पेंशनरों को निर्धारित चिकित्सा भत्ते का भुगतान न करना या कम दर से करना।

अन्य राज्यों से सम्बन्धित उत्तराखण्ड से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को सम्बन्धित राज्यों द्वारा निर्धारित दर से प्रत्येक माह चिकित्सा भत्ते का भुगतान करने हेतु आदेशित किया गया है जिसके आधार पर राज्य के विभिन्न कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले अन्य राज्यों के पेंशनरों को मासिक चिकित्सा भत्ते का भुगतान करना कोषागार का दायित्व है। निरीक्षण में यह पाया गया कि कोषागारों/उपकोषागारों द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण इन पेंशनरों को देय चिकित्सा भत्ते के लाभ से वंचित रहना पड़ता है तथा साथ ही ऐसे आदेशों का उल्लंघन भी हो रहा है। विवरण **परिशिष्ट–(16)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(16)

3.5.3 कोषागार डाटा बेस में 33 पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की जन्म तिथि को अंकित न किया जाना।

उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 267/45/XXVII(10)/2016 दिनांक 30.12.2016 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के 80, 85, 90, 95 एवं 100 वर्ष की आयु–वर्ग के पेंशनरों को मूल पेंशन के अलावा 20, 30, 40, 50 एवं 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन (Old Age Pension) का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जीवित होने के प्रमाण–पत्र, पुनर्विवाह प्रमाण–पत्र इत्यादि प्रत्येक वर्ष के माह नवम्बर में प्रस्तुत करने की बाध्यता को हटाते हुए ऐसे प्रमाण–पत्र को (जो लागू हों) सम्बन्धित पेंशनर की सेवानिवृत्ति के माह में प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। चूंकि सेवानिवृत्ति तिथि, जन्म तिथि से सीधे सम्बन्धित होती है। अतः डाटा बेस में जन्म तिथि अंकित किया जाना अति आवश्यक है ताकि उक्त आदेश की निगरानी/नियंत्रण किया जा सके एवं पात्र पेंशन भोगियों को

अतिरिक्त पेंशन (Old Age Pension) का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। विवरण **परिशिष्ट–(17)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(17)

3.5.4 पश्चिम बंगाल सरकार के पेशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को Ex-gratia का भुगतान न किया जाना।

पश्चिम बंगाल सरकार के शासनादेश संख्या 1725-F(P2) दिनांक 13.05.2020 के अनुसार वर्ष 2020 में Ex-gratia ₹ 2,200/–, 1494-F (P2) दिनांक 06.05.2021 के अनुसार वर्ष 2021 में Ex-gratia ₹ 2,500/–, 1573-F(P2) दिनांक 18.04.2022 के अनुसार वर्ष 2022 में Ex-gratia ₹ 2,700/–, सं0 1484–F(P2)/FA/O/2M/493/12 दिनांक 28.03.2023 द्वारा वर्ष 2023 में Ex-gratia ₹ 2,900/– एवं सं0 1223–F(P2)/FA/O/2M/493/12 दिनांक 07.03.2024 द्वारा वर्ष 2024 में Ex-gratia ₹ 3,200/– का भुगतान स्वीकृत किया जाना था। परन्तु उत्तराखण्ड के विभिन्न कोषागारों/उपकोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे पश्चिम बंगाल सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को Ex-gratia का भुगतान निर्धारित दरों से नहीं किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क्रमांक	कोषागार/उपकोषागार का नाम	पेंशनरों की संख्या	2020 @ ₹ 2200	2021 @ ₹ 2500	2022 @ ₹ 2700	2023 @ ₹ 2900	2024 @ ₹ 3200	कुल राशि (₹) में
1.	बागेश्वर	04	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	12,800	12,800
2.	बडकोट	01	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3,200	3,200
3.	देघाट	02	शून्य	5,000	5,400	5,800	6,400	22,600
4.	गदरपुर	01	2,200	2,500	2,700	2,900	3,200	13,500
5.	कांडा	02	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	6,400	6,400
6.	कपकोट	02	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	6,400	6,400
7.	अल्मोड़ा	11	24,200	27,500	29,700	31,900	शून्य	1,13,300
8.	पौड़ी गढ़वाल	95	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3,04,000	3,04,000
9.	दन्या	01	2,200	2,500	2,700	2,900	शून्य	10,300
10.	रानीखेत	06	शून्य	15,000	16,200	17,400	19,200	67,800
11.	सतपुली	06	शून्य	15,000	16,200	17,400	19,200	67,800
12.	सोमेश्वर	04	शून्य	10,000	10,800	11,600	12,800	45,200
13.	श्रीनगर	12	शून्य	शून्य	शून्य	34,800	38,400	73,200
14.	थलीसैंण	13	शून्य	शून्य	शून्य	37,700	41,600	79,300
15.	उत्तरकाशी	02	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	6,400	6,400
16.	पिथौरागढ़	05	शून्य	12,500	13,500	14,500	16,000	56,500
17.	धूमाकोट	05	शून्य	शून्य	शून्य	14,500	16,000	30,500
18.	देवाल	03	शून्य	शून्य	8,100	8,700	शून्य	16,800
	कुल योग	175	28,600	90,000	1,05,300	2,00,100	5,12,000	9,36,000

3.6 कोषागार/उपकोषागार में IFMS प्रणाली से सम्बन्धित अनियमितताओं एवं त्रुटियों का पाया जाना।

राज्य सरकार के शासनादेश संख्या XXVII (6)/430,d/2008/2019 दिनांक 19.03.2019 सहपठित 480/XXVII (6)/430 एक/2016/2019 दिनांक 11.12.2020, XXVII (6)/430 एक/2018/2019 दिनांक जुलाई, 2019 द्वारा राज्य में IFMS प्रणाली लागू की गयी एवं स्पष्ट निर्देश कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारियों को उक्त शासनादेशों द्वारा दिये गये कि पूरा काम IFMS प्रणाली के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें।

उपकोषागार चकराता, कोषागार देहरादून, उपकोषागार नरेन्द्रनगर, उपकोषागार घनसाली, कोषागार रानीखेत्, उपकोषागार सोमेश्वर, कोषागार पिथौरागढ एवं निदेशक कोषागार में वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25

के निरीक्षण में लेखों से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच IFMS Portal (नमूना माह मार्च, 2024) पर किये जाने पर निम्नलिखित त्रुटियां पायी गई हैः–

1-IFMS पर उपकोषागार चकराता के अन्तर्गत आहरण वितरण अधिकारी के विवरण की जांच में कुल 6 आहरण वितरण अधिकारियों की ई–मेल आई0डी0 दर्ज नहीं हैं एवं कुल 46 आहरण वितरण अधिकारियों की दर्ज ई–मेल आई0डी0 आधिकारिक अर्थात NIC द्वारा आवंटित ही नहीं की गई है।

2-कोषागार देहरादून के IFMS Portal पर उपलब्ध List of Payment माह 03/2024 की जांच में संज्ञान में आया कि विभिन्न शीर्षों के सापेक्ष Short Description कॉलम रिक्त है तथा कुल 81 आहरण वितरण अधिकारियों की ई–मेल आई0डी0 दर्ज नहीं है।

3-उपकोषागार घनसाली के अन्तर्गत आहरण वितरण अधिकारियों की सूची की समीक्षा में पाया गया कि वेतन आहरित करने वाले कुल 50 आहरण वितरण अधिकारी हैं इनमें से कुल 06 आहरण वितरण अधिकारियों के फोन नम्बर तथा 08 आहरण वितरण अधिकारियों के ई–मेल दर्ज नहीं किये गये हैं।

4-कोषागार रानीखेत के अन्तर्गत वाउचरों पर e-sign नहीं हैं तथा अधिकतर वाउचरों के साथ enclosure अपलोड नहीं हैं अथवा उपयुक्त enclosure अपलोड नहीं हैं। उदाहरणतः वाउचर A2054003 Dated 01.02.2024 एवं A2202 Dated 01.02.2024 के साथ सुसंगत enclosure अपलोड नहीं किये गये हैं।

5-वेतन देयकों के निरीक्षण में पाया गया कि वेतन वाउचर में एस.जी.एच.एस. की कोई कटौती अंकित नहीं है। जबकि उसके समर्थित दस्तावेज इनरशीट में उक्त कटौती अंकित है। इस आधार पर निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन से एस.जी.एच.एस. की कटौती तो की जा रही है किन्तु इसका कोई लेखा–जोखा भुगतान एवं लेखा कार्यालय द्वारा किसी सरकारी लेखा वर्गीकरण में नहीं रखा गया है।

6-उपकोषागार सोमेश्वर के अन्तर्गत वाउचरों पर e-sign नहीं हैं एवं अधिकतर वाउचरों के साथ enclosure अपलोड नहीं हैं अथवा उपयुक्त enclosure अपलोड नहीं हैं उदाहरणतः वाउचर A22020238 Dated 02.02.2024 एवं A22020287 Dated 03.02.2024 के साथ कोई enclosure अपलोड नहीं किया गया हैं।

7-उपकोषागार सोमेश्वर द्वारा केवल 12 डी0डी0ओ0 की ही सूची उपलब्ध कराई गई है। जबकि IFMS पोर्टल पर 13 डी0डी0ओ0 की सूची दर्ज है जिसके फलस्वरुप डी0डी0ओ0–2296–वेटेनरी अधिकारी, सोमेश्वर का नाम उपकोषागार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में दर्ज नहीं पाया गया।

8-कोषागार पिथौरागढ के निरीक्षण में यह पाया गया कि आई0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से मासिक लेखों को जनरेट किया जा रहा है। परन्तु कोषागार के अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों की संख्या 138 है। जिसमें से 23 आहरण वितरण अधिकारियों के मोबाईल नम्बर आई0एफ0एम0एस0 में दर्ज है शेष 115 आहरण वितरण अधिकारियों की मोबाईल संख्या एवं एन0आई0सी0 ई0–मेल आई0डी0 दर्ज नहीं है।

9-निदेशक कोषागार के निरीक्षण में पाया गया कि वाउचर संख्या B20550005 दिनांक 04.02.2025 ₹ 50,00,000 वाउचर संख्या B20250142 दिनांक 22.05.2024 ₹ 200,00,000 वाउचर संख्या B20550324 दिनांक 24.07.2024 ₹ 93,00,000 वाउचर संख्या B20550184 दिनांक 20.11.2024 ₹ 1,00,00,000 उपरोक्त वाउचरों के साथ अंतिम भुगतान का उप–वाउचर/समर्थन दस्तावेज संलग्न नहीं है।

3.7 सैनिक पेंशनरों को Defence Pension Disbursement Officer (DPDO) देहरादून को हस्तानांतरित नहीं किया जाना।

निदेशक कोषागार उत्तराखण्ड के पत्रांकः 991/22(5)/(ii)सैन्य पेंशन पत्राचार/नि0को0वि0से0/2013 दिनांक 16-09-2013 में दिए हुए निर्देशों के अनुसार सभी सैनिक पेंशनरों को राष्ट्रीय बैंकों से पेंशन दिए जाने के स्पष्ट निर्देश हैं। परन्तु उपकोषागार बड़कोट, कोषागार देहरादून, उपकोषागार किच्छा, कोषागार उत्तरकाशी,

उपकोषागार गंगोलीहाट, उपकोषागार थल एवं उपकोषागार गैरसैंण से पेंशन प्राप्त करने वाले सैनिक पेंशनरों के पी.पी.ओ. इत्यादि Defence Pension Disbursement Officer (DPDO), देहरादून को प्रेषित नहीं किये गये हैं। सैनिक पेंशनरों पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कोषागार/उपकोषागार से किया जा रहा है, का विवरण **परिशिष्ट–(18)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(18)

3.8 पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर न्यूनतम पेंशन प्राप्त नहीं होना।

उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 266/45@XXVII(10)/2016 दिनांक 30.12.2016 के अनुसार दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन का पुनरीक्षण कर सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि कुछ कोषागारों/उपकोषागारों द्वारा पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

क्रमांक	कोषागार/उपकोषागार का नाम	पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की संख्या
1.	कालाढूंगी	01
2.	नरेन्द्रनगर	01
3.	रानीखेत	02
4.	सतपुली	01
5.	सोमेश्वर	01
6.	भुगतान एवं लेखा कार्यालय नई दिल्ली	01
7.	उधमसिंह नगर	04
8.	थल	01

3.9 स्त्रोत पर आयकर की कटौती न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1088/XXVII(3)पे/2004 दिनांक 26.08.2004 के प्रस्तर–3 के अनुसार कोषागार द्वारा सम्बन्धित पेंशनरों के स्त्रोत पर आयकर की कटौती करके प्रपत्र–16–ए (आयकर) को बैंक के माध्यम से पेंशनर को उपलब्ध कराना चाहिए परन्तु अधिकांश कोषागारों द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया जा रहा है कोषागार के स्तर से न तो स्त्रोत पर आयकर की कटौती की गई और न ही पेंशनरों से आयकर स्वतः जमा कराने के सापेक्ष में कोई प्रामण–पत्र लिया गया। वर्ष 2024–25 में निरीक्षण दलों द्वारा कोषागार हल्द्वानी में जांचे गये अधिकांश प्रकरणों में पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन का योग 05 लाख से अधिक है परन्तु इनके आयकर संबंधित कटौती/गणना/बचत संबंधित कोई अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

कोषागार	क्रम सं0.	पेंशनर का नाम	**GRD** सं0	कर योग्य कुल पेंशन **(₹)** में	वर्ष 2023–24 में आहरित कुल पेंशन (₹) में	आयकर कटौती
हल्द्वानी	1.	उमा पाठक	E03S019057	7,12,008	7,62,008	शून्य
	2.	मदन मोहन जोशी	C01S10885	8,14,268	8,64,268	शून्य

	3.	नारायण सिंह पंगती	C01S81602	10,06,704	10,56,704	शून्य
	4.	हरि विनोद जोशी	C01S10817	8,49,640	8,99,640	शून्य
	5.	राम बृक्ष यादव	C01S10859	8,26,800	8,76,800	शून्य

3.10 IFMS Software में आहरण वितरण अधिकारियों के मोबाईल नंबर एवं NIC ई–मेल आई डी दर्ज नहीं होना।

राज्य के समस्त शासकीय विभागों में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली IFMS की व्यवस्था लागू किये जाने से सम्बन्धित उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं0 XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29.03.2019 के बिन्दु (1) सामान्य प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश–उप बिन्दु (7) के अनुसार ''IFMS पोर्टल पर कार्य के लिए सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को राज्य एन0आई0सी0 द्वारा सरकारी ई–मेल उपलब्ध कराया जाएगा। इस पोर्टल पर कार्य करने के लिए यूजर्स का व्यक्तिगत ई–मेल का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है।''

कोषागार द्वारा प्रदान की गई उनके अधीन समस्त आहरण वितरण अधिकारियों की सूची की जांच में निम्न तथ्य संज्ञान में आये हैं कि कोषागार बागेश्वर, उपकोषागार बाजपुर, उपकोषागार बड़कोट, उपकोषागार बेतालघाट, उपकोषागार देघाट, उपकोषागार गदरपुर, उपकोषागार घनसाली, उपकोषागार कांडा, उपकोषागार कपकोट, उपकोषागार किच्छा, उपकोषागार लैन्सडाउन, कोषागार नैनीताल, कोषागार नई टिहरी, कोषागार चम्पावत, कोषागार अल्मोड़ा, उपकोषागार लोहाघाट, उपकोषागार पाटी, उपकोषागार प्रतापनगर, उपकोषागार पौड़ी गढ़वाल, उपकोषागार दन्या, उपकोषागार लमगड़ा, उपकोषागार सतपुली, उपकोषागार सोमेश्वर, उपकोषागार श्रीनगर, उपकोषागार थलीसैंण, उपकोषागार थत्यूड़, उपकोषागार रूद्रप्रयाग, उपकोषागार ऊखीमठ, कोषागार उत्तरकाशी, उपकोषागार गंगोलीहाट, कोषागार पिथौरागढ़, उपकोषागार थल, उपकोषागार बेरीनाग, उपकोषागार धूमाकोट, उपकोषागार देवाल, उपकोषागार गैरसैंण, कोषागार चमोली, उपकोषागार घाट, उपकोषागार चकराता, कोषागार देहरादून एवं निदेशक कोषागार के निरीक्षण में यह भी पाया गया कि IFMS प्रणाली के माध्यम से मासिक लेखाओं को जनरेट किया जा रहा है परंतु IFMS Software में आहरण वितरण अधिकारियों के मोबाईल नंबर एवं NIC ई–मेल आई ड़ी दर्ज नहीं है। जिससे Fail Transaction से संबंधित समस्याओं हेतु उनसे संपर्क नहीं किया जा सकता।

3.11 उपकोषागार के अन्तर्गत आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा आहरित अग्रिम (AC Bill) के समायोजन के संबंध में।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग 1 के पैरा 162 (07) में निहित प्रावधानों के तहत अग्रिम आहरण का समायोजन किसी भी दशा में एक माह अथवा वित्त वर्ष की समाप्ति जो भी पहले हो, तक अनिवार्य रूप से कर लिया जाना चाहिए।

उपकोषागार अगस्त्यमुनि, उपकोषागार चकराता, कोषागार देहरादून, कोषागार हल्द्वानी, कोषागार नरेन्द्रनगर, कोषागार चम्पावत, कोषागार अल्मोड़ा, कोषागार पौड़ी गढ़वाल, उपकोषागार थलीसैंण, कोषागार रूद्रप्रयाग, कोषागार उत्तरकाशी, कोषागार पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा आहरित किये गये अग्रिम आहरण के अभिलेखों के निरीक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित अग्रिम (ए0सी0 बिल्स) एक माह/वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात् भी असमायोजित है, जिसका विवरण **परिशिष्ट–(19)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(19)

3.12 GST-Tax Deducted at source Suspense के गलत/त्रुटीपूर्ण लेखांकन के सन्दर्भ में।

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), लेखा नियंत्रक के लेखों के संबंध में संशोधन पत्र सं0 T14018/09/2015/GST/Code/Pt.2/Code/125–133 दिनांक 04-06-2019 एवं LMMHA के लघु शीर्ष 139 के फुट नोट 14 के अनुसार मुख्य शीर्ष 8658 के अनतर्गत GST के सापेक्ष होने वाली कटौतियों को लघु शीर्ष 139 में लेखांकित किया जाना आपेक्षित है मासिक लेखों की जांच के दौरान यह संज्ञान में आया है कि GST-

Tax Deducted at source Suspense का लेखांकन मुख्य शीर्ष 8658–00–101–60–00 के अंतर्गत किया जा रहा है, जो कि उक्त आदेशानुसार गलत है। मुख्य शीर्ष 8658 के अन्तर्गत लघु शीर्ष 101 मुख्यतः महालेखाकार द्वारा संचालित किया जाता है। कोषागार बागेश्वर, उपकोषागार बाजपुर, उपकोषागार लैन्सडाउन, कोषागार देहरादून, उपकोषागार धूमाकोट, उपकोषागार गदरपुर, उपकोषागर कांडा, उपकोषागार कपकोट, कोषागार पौड़ी, उपकोषागार सतपुली, कोषागार श्रीनगर, उपकोषागार थलीसैंण, कोषागार उधमसिंहनगर एवं कोषागार उत्तरकाशी GST-Tax Deducted at source Suspense हेतु मुख्य शीर्ष 8658 के अंतर्गत लघु शीर्ष 139 उपलब्ध है।

परिशिष्ट
1 से 19 तक

(परिशिष्ट–1) पैरा–1.2
उत्तराखण्ड स्थित कोषागारों/उपकोषागारों की सूची

क्र.स.	जिले का नाम	क्र.स.	कोषागार का नाम	क्र.स.	उपकोषागार का विवरण	बैंकिंग / नान बैंकिंग
1	नैनीताल	1	नैनीताल	1.	1. बेतालघाट	बैंकिंग
				2.	2. कोशियाकुटोली	बैंकिंग
				3.	3. रामनगर	बैंकिंग
				4.	4. कालाढूँगी	बैंकिंग
				5.	5. धारी	बैंकिंग
		2	हल्द्वानी		कोई नहीं	बैंकिंग
2	उधमसिंह नगर	3	उधमसिंह नगर	6.	1. जसपुर	बैंकिंग
				7.	2. काशीपुर	बैंकिंग
				8.	3. बाजपुर	बैंकिंग
				9.	4. गदरपुर	बैंकिंग
				10.	5. किच्छा	बैंकिंग
				11.	6. सितारगंज	बैंकिंग
				12.	7. खटीमा	बैंकिंग
3	अल्मोड़ा	4	अल्मोड़ा	13.	1. भिकियासैंण	बैंकिंग
				14.	2. ताकुला	बैंकिंग
				15.	3. लमगड़ा	बैंकिंग
				16.	4. मौलेखाल	बैंकिंग
				17.	5. चौखुटिया	बैंकिंग
				18.	6. द्वाराहाट	बैंकिंग
				19.	7. दन्या	बैंकिंग
				20.	8. देघाट	बैंकिंग
				21.	9. सोमेश्वर	बैंकिंग
		5	रानीखेत		कोई नही	बैंकिंग
4	पिथौरागढ़	6	पिथौरागढ़	22.	1.बेरीनाग	बैंकिंग
				23.	2.डीडीहाट	बैंकिंग
				24.	3.मुनस्यारी	बैंकिंग
				25.	4.धारचूला	बैंकिंग
				26.	5.अस्कोट	बैंकिंग
				27.	6.थल	बैंकिंग
				28.	7.गणाई गंगोली	बैंकिंग
				29.	8.गंगोलीहाट	बैंकिंग
				30.	9.देवलथल	बैंकिंग
				31.	10- नाचनी	बैंकिंग
5	बागेश्वर	7	बागेश्वर	32.	1. कपकोट	बैंकिंग

				33.	2. गरूड़	बैंकिंग
				34.	3. काण्डा	बैंकिंग
				35.	4. ढुंगनाकुरी	बैंकिंग
6	चम्पावत	8	चम्पावत	36.	1. पाटी	बैंकिंग
				37.	2. लोहाघाट	बैंकिंग
				38.	3. टनकपुर	बैंकिंग
7	देहरादून	9	देहरादून	39.	1. ऋषिकेश	बैंकिंग
				40.	2. विकासनगर	बैंकिंग
				41.	3. मसूरी	बैंकिंग
				42.	4. त्यूनी	बैंकिंग
				43.	5. चकराता	बैंकिंग
		10	साईबर ट्रेजरी, देहरादून		कोई नही	बैंकिंग
8	हरिद्वार	11	हरिद्वार	44.	1. हरिद्वार	बैंकिंग
		12	रूड़की	45.	2. लक्सर	बैंकिंग
9	नई टिहरी	13	नई टिहरी	46.	1. देवप्रयाग	बैंकिंग
				47.	2. घनसाली	बैंकिंग
				48.	3. थत्यूड़	बैंकिंग
				49.	4. प्रतापनगर	बैंकिंग
				50.	5. नैनबाग	बैंकिंग
		14	नरेन्द्रनगर	कोई नही		बैंकिंग
10	रूद्रप्रयाग	15	रूद्रप्रयाग	51.	1.अगस्तमुनी	बैंकिंग
				52.	2.ऊखीमठ	बैंकिंग
				53.	3.जखोली	बैंकिंग
11	पौड़ी	16	पौड़ी गढ़वाल	54.	1.श्रीनगर	बैंकिंग
				55.	2.सतपुली	बैंकिंग
				56.	3.थैलीसैंण	बैंकिंग
				57.	4.धूमाकोट	बैंकिंग
		17	कोटद्वार	कोई नही		बैंकिग
		18	लैन्सडाउन	कोई नही		बैंकिग
12	चमोली	19	चमोली (गोपेश्वर)	58.	1.कर्णप्रयाग	बैंकिंग
				59.	2.थराली	बैंकिंग
				60.	3.जेशीमठ़	बैंकिंग
				61.	4.घाट	बैंकिंग
				62.	5.पोखरी	बैंकिंग
				63.	6.गैरसैंण	बैंकिंग
				64.	7.नारायणबगड़	बैंकिंग
				65.	8.देवाल	बैंकिंग
				66.	9.चमोली	बैंकिंग

13	उत्तरकाशी	20	उत्तरकाशी	67.	1.पुरोला	बैंकिंग
				68.	2.भटवाड़ी	बैंकिंग
				69.	3.डुण्डा	बैंकिंग
				70.	4.राजगढ़ी (बड़कोट)	बैंकिंग
14	भुगतान एवं लेखा कार्यालय उत्तराखण्ड, नई दिल्ली	21	भुगतान एवं लेखा कार्यालय उत्तराखण्ड, नई दिल्ली		कोई नही	बैंकिंग

(परिशिष्ट–2) पैरा–2.2
त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का लेखा संशोधन

S.No.	Name of Trasury/Sub Treasury	Total No. of cases received	No. of cases admitted	No. of cases returned for want of any information	Total no. of correction executed	Amount adjusted in (₹)	
						Receipt	payment
1.	देहरादून	13	13	03	10	8,39,484	12,00,000
2.	साईबर देहरादून	10	10	02	08	5,10,982	40,99,642
3.	हल्द्वानी	10	10	00	10	3,33,156	10,211
4.	नैनीताल	20	20	02	18	16,81,201	26,38,832
5.	अल्मोड़ा	09	09	03	06	77,000	Nil
6.	पिथौरागढ़	09	09	01	08	1,18,888	Nil
7.	नरेन्द्रनगर	06	06	02	04	11,80,978	Nil
8.	चमोली	05	05	01	04	66,880	Nil
9.	उत्तरकाशी	04	04	02	02	2,04,459	Nil
10.	पौड़ी गढ़वाल	13	13	03	10	5,76,543	Nil
11.	रूड़की	03	03	00	03	12,62,635	Nil
12.	कोटद्वार	04	04	00	04	60,000	Nil
13.	लैन्सडाउन	00	00	00	00	Nil	Nil
14.	नई टिहरी	05	05	02	03	9,39,266	Nil
15.	पी0ए0ओ0 नई दिल्ली	00	00	00	00	Nil	Nil
16.	हरिद्वार	10	10	03	07	78,03,900	1,40,000
17.	उधमसिंह नगर	20	20	04	16	8,04,809	Nil
18.	चम्पावत	20	20	02	18	7,40,633	Nil
19.	बागेश्वर	04	04	00	04	60,850	Nil
20.	रूद्रप्रयाग	18	18	03	15	6,92,880	Nil
	योग	**183**	**183**	**33**	**150**	**1,79,54,544**	**80,88,685**

(परिशिष्ट–3) पैरा–2.3
विभिन्न बजट अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में त्रैमासिक आय–व्ययक मिलान की स्थिति

क्रम सं.	बजट नियंत्रण अधिकारियों / विभागाध्यक्षों का नाम	प्राप्ति शीर्ष	अनुदान सं0	व्यय शीर्ष	1st	2nd	3rd	4th	1st	2nd	3rd	4th
					प्राप्ति पक्ष मिलान स्थिति				व्यय पक्ष मिलान स्थिति			
1	सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0	01	2011,4059	--	--	--	--	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
2	सचिव, श्री राज्यपाल विभाग, उत्तराखण्ड शासन सचिवालय, देहरादून।	0	02	2012	--	--	--	--	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
3	सचिव, सचिवालय प्रशासन उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0	03,07	2013,2052	--	--	--	--	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
4	सचिव, मुख्यमंत्री घोषणा उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून	0	03	2013,4059	--	--	--	--	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
5	सचिव, न्यायिक एवं विधिक परामर्शी	0	04	2014,4059	--	--	--	--	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	आंशिक
6	सचिव, निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0	05,13	2015,4059 ,2217	--	--	--	--	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण
7	सचिव, पंचायती राज	0	05,	2015,2515,	--	--	--	--	आंशिक	आंशिक	आंशिक	पूर्ण

	विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।		19, 30, 31	4515,2515, 2515								
8	सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0	06	2245,4059					आंशिक	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण
9	सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0070	06,07	2052,2070, 2062,2053, 2052,2053	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
10	सचिव, कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0070	06,09	2070,2051, 4059	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
11	सचिव, राजस्व विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0029, 0075	06,13	2029,2053, 2506,4059, 2216	आंशिक	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
12	सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देरहादून।	0	06	2062	--	--	--	--	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
13	सचिव, राज्य संपत्ति विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0047, 0216, 1475	07	4216,2052	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं
14	सचिव, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन,	0006, 0030,	07	2030,2040, 2043,2045,	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक

	सचिवालय, देहरादून।	0040, 0071		2048,2049, 2052,2054, 2071,2075, 2235,2515, 3451,3454								
15	सचिव, योजना विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0	07	3451,3454	--	--	--	--	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
16	सचिव, ऊर्जा विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0043, 0801, 0810, 0050	07, 21, 30, 31	2045,2801, 2810,4801, 4810,2810, 4801,4810, 2810,4801, 4810	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
17	सचिव, विधायी और संसदीय कार्य विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0	07	2052	--	--	--	--	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
18	सचिव, आबकारी विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0039	08	2039,4059	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
19	सचिव, गृह विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0055, 0056	10	2055,2056, 4055,4059	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक
20	सचिव संस्कृति विभाग उत्तराखण्ड शासन,	0202	11, 31	2205,4202 2205	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण

	सचिवालय, देहरादून।											
21	सचिव, उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देरहादून।	0202	11	2202,4202	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	आंशिक
22	सचिव, भाषा विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0	11	2202	--	--	--	--	नहीं	नहीं	पूर्ण	पूर्ण
23	सचिव, एन0सी0सी0 विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0	11	2202,4202	--	--	--	--	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
24	सचिव, युवा कल्याण विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0	11,30	2204,4202, 2204	--	--	--	--	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण
25	सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0202	11	2202,4202	नहीं	नहीं	आंशिक	आंशिक	नहीं	नहीं	पूर्ण	पूर्ण
26	सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0202	11, 30, 31	2202,4202	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक
27	सचिव, खेल विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0202	11, 30, 31	2204,4202	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक

28	सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0202	11, 30, 16, 30	2203,4202 2230,4202	नहीं	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक
29	सचिव आयुष विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0210	12, 31	2210,4210 2210	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	पूर्ण
30	सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थय विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0210	12, 30, 31	2210, 2211, 4210,4211 2210,2211 4210,4211, 2211	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक
31	सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0210	12, 30, 31	2210,4210, 4210,4210	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक
32	सचिव, आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन सचिवालय, देहरादून।	0216	13	2216,4216, 2217	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक
33	सचिव, ग्राम विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0515	13, 19, 31, 30	2217,2501, 2505,2515, 4515,2505, 2515,4515	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
34	सचिव, शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय,	0217	13, 30, 31	2217, 4217, 2217	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण

	देहरादून।												
35	सचिव, पेयजल विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0215	13, 30, 31	2215,4215, 4215	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
36	सचिव,सूचना विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0220	14, 30, 31	2220,4059, 2220,2220	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
37	सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0235	30, 31	2235,2225, 4235,4225	पूर्ण	नहीं	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
38	सचिव, समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0235	15, 19, 30, 31	2225,2235, 4225,4435, 2501,4225	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक
39	सचिव, सैनिक कल्याण विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0	15	2235,4235	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
40	सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0	15	2225,4225, 4250	--	--	--	--	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण

41	सचिव, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0230	16, 30, 31	2230,4216, 4059,2230	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
42	सचिव, श्रम विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0230	16	2210,2230, 4059,4216	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
43	सचिव, कृषि विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0401, 0435	17, 29, 30	2401,2415 4401,2401	पूर्ण	नहीं	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	आंशिक
44	सचिव, जलागम विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0	17, 30, 31	2401, 2401, 2401	--	--	--	--	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
45	सचिव, गन्ना विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0401	17	2401, 4401	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
46	सचिव, सहकारी समिति विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0435	18, 30, 31	2425	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
47	सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0	19	2515,4515	--	--	--	--	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
48	सचिव, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0700, 0701	20, 30, 31	2700,2701 2711,4700 4701,4711	नहीं	नहीं	आंशिक	नहीं	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	आंशिक

				2701,2711 4700,4701 4711,2701 2711,4700 4701,4711								
49	सचिव, लघु सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0702	20, 30, 31	2702,4702, 4702,4702	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
50	सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0059	22, 30, 31	2059,2216 3054,4059 5054,5054	नहीं	नहीं	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	आंशिक
51	सचिव, उद्योग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0058	23	2058,2851	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
52	सचिव, खनन विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0853	23	2853	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
53	सचिव, सूचना एवं प्रौघोगिकी विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0	23	3425,4859	--	--	--	--	नहीं	पूर्ण	नहीं	आंशिक
54	सचिव, विज्ञान एवं प्रौघोगिकी विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0	23	3425,4859	--	--	--	--	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण

55	सचिव, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0851, 0852	23, 30, 31	2851,4851 2851	आंशिक	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
56	सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	1053	24	3053,5053	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
57	सचिव, परिवहन विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	1055, 0041	24, 30, 31	2041,3055 5055,5055	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
58	सचिव, खाघ एवं नागरिक आपूर्ति विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0408, 1456, 1475	25	2408,3456 3475,4408	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	आंशिक
59	सचिव, पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	1452	26, 30, 31	3452,5452, 3452	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
60	सचिव, वन विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0406	27	2406,3435 4406	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	आंशिक
61	सचिव, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0403	28, 30, 31	2403,4403, 2403	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक
62	सचिव, डेयरी विकास विभाग उत्तराखण्ड	0404	28	2404,4404	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण

	शासन, सचिवालय, देहरादून।											
63	सचिव, मतस्य विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0405	28	2405,4405	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
64	सचिव, **उद्यान** विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0401	29	2401,4401	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक
65	सचिव, रेशम विभाग उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।	0851	29, 30, 31	2401	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण

(परिशिष्ट–4) पैरा–2.3

त्रैमासिक प्राप्ति आय–व्यय आकड़ों का मिलान नहीं कराने वाले बजट नियंत्रण अधिकारियों की सूची।

1. सचिव, राज्य संपत्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
2. सचिव, आवास, अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून द्वारा संचालित भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, मैट्रो रेल कार्मिकों के वेतन का भुगतान व अन्य व्यय एवं यूनिटी मॉलप्लाजा निर्माण।
3. प्रमुख अभियन्ता, मुख्य एवं मध्य सिचांई विभाग उत्तराखण्ड, यमुना कॉलोनी देहरादून।

(परिशिष्ट–5) पैरा–2.5.1

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 कोषागारों द्वारा सामान्य भविष्य निधि के भुगतान से सम्बन्धित प्राधिकार–पत्रों को पुनः सत्यापन हेतु वापस किया जाना।

Sr. No.	Name of Treasury/Sub Treasury	No. of authorities returned	No. of authorities revalidated	Amount involved In (₹)
1	अल्मोड़ा	3	3	4,99,682
2	बागेश्वर	2	2	6,92,053
3	चमोली	2	2	72,495
4	साईबर देहरादून	2	2	5,32,735
5	देहरादून	7	7	15,43,421
6	हल्द्वानी	2	2	3,81,260
7	हरिद्वार	3	3	5,26,720
8	खटीमा	1	1	1,49,460
9	लैन्सडाउन	1	1	3,17,428
10	नैनीताल	4	4	16,91,246
11	पौड़ी गढ़वाल	3	3	5,46,344
12	ऋषिकेश	1	1	5,36,758
13	रूद्रप्रयाग	2	2	9,79,006
14	टिहरी गढ़वाल	1	1	99,728
15	उधमसिंह नगर	4	4	4,56,396
	योग	**38**	**38**	**90,24,732**

(परिशिष्ट–6) पैरा–2.5.2

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान 2 कोषागारों में सामान्य भविष्य निधि के कुल 2 प्रकरण 90 प्रतिशत् अधिक भुगतान का संज्ञान में आना।

Sr. No.	Treasury	No. of Cases	Amount in (₹)
1	देहरादून	1	31,733
2	नैनीताल	1	1,35,290
	Total	**02**	**1,67,023**

(परिशिष्ट–7) पैरा–2.5.3

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान 18 कोषागारों के कुल 171 प्रकरणों में सामान्य भविष्य निधि संख्या और नाम के सही अंकित न होने के कारण प्राप्ति की प्रविष्टियों का विवरण सामान्य भविष्य निधि डाटा बेस में पोस्ट नहीं किया जाना।

Sl. No.	Name of Treasury/Sub Treasury	No. of Items	Amount (in ₹)
1	अल्मोड़ा	4	63,600
2	बागेश्वर	1	24,000
3	चमोली	4	44,058
4	चम्पावत	5	64,656
5	देहरादून सी0पी0ए0ओ0	2	45,000
6	देहरादून	27	3,15,322
7	हल्द्वानी	1	20,000
8	हरिद्वार	23	2,65,714
9	कोटद्वार	2	25,000
10	नैनीताल	33	5,05,398
11	नरेन्द्रनगर	6	61,428
12	पौड़ी	8	6,34,922
13	पिथौरागढ़	18	1,85,300
14	रूड़की	2	11,000
15	रूद्रप्रयाग	2	1,55,452
16	नई टिहरी	9	72,984
17	उधमसिंह नगर	12	92,513
18	उत्तरकाशी	12	2,79,246
	Total	**171**	**28,65,593**

(परिशिष्ट–8) पैरा–2.5.4

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान 20 कोषागारों के प्राप्ति के **Full want/Part want** के कुल 4,075 प्रकरण प्राप्ति शैड्यूल के अभाव में वर्तमान में अनिस्तारित पाया जाना।

Sl.No.	Treasury/Sub Treasury	No. of Items		Amount (in ₹)	
		Full Want	Part Want	Full Want	Part Want
1	अल्मोड़ा	29	157	2,79,121	-29,00,408
2	बागेश्वर	13	187	75,300	-7,49,012
3	चमोली	15	101	1,85,000	-20,67,603
4	चम्पावत	9	92	10,85,515	-10,86,634
5	देहरादून सी0पी0ए0ओ0	0	36	0	20,30,742
6	देहरादून	31	583	9,63,034	-43,97,579
7	हल्द्वानी	12	95	89,977	6,87,075
8	हरिद्वार	13	195	2,44,236	-19,48,194
9	कोटद्वार	15	55	1,55,400	-2,23,059
10	नैनीताल	53	587	18,41,968	74,935
12	नरेन्द्रनगर	4	77	57,920	-6,87,645
13	पौड़ी	73	450	7,54,179	-48,96,589
14	पिथौरागढ़	21	60	2,65,518	-2,41,925
15	रानीखेत	0	1	0	9,46,181
15	रूड़की	2	28	12,600	3,63,658
16	रूद्रप्रयाग	10	148	92,900	-6,26,221
17	नई टिहरी	38	301	1,83,077	-33,09,374
18	उधमसिंह नगर	17	212	2,59,250	-36,99,240
19	उत्तरकाशी	35	301	9,48,849	-25,38,382
20	लैन्सडाउन	8	11	29,830	-1,26,601
	योग	**398**	**3,677**	**75,23,674**	**-2,53,95,875**

(परिशिष्ट–9) पैरा–2.6.1

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान अधिक भुगतान की वसूली को व्यय में कमी के रूप में दर्शाने के बजाय संबंधित मुख्य लेखाशीर्ष (प्राप्ति) में दर्शाया जाना।

Sl. No.	Treasury/Sub Treasury	Numbers of Cases	Amount Involved in (₹)
1.	साईबर देहरादून	02	(-) 72,81,000
	योग	**02**	**(-) 72,81,000**

(परिशिष्ट–10) पैरा–2.6.2

पूर्ण (15 अंकीय) वर्गीकरण के बिना अपूर्ण चालान/एस0ओ0आर0 का पाया जाना।

Sl. No.	Treasury/Sub Treasury	No. of Cases	Amount in (₹)
1	देहरादून	29	82,84,453
2	साईबर देहरादून	61	46,25,14,273
3	नैनीताल	5	9,70,337
4	अल्मोड़ा	5	6,75,560
5	पिथौरागढ़	6	7,96,778
6	चमोली	4	11,88,799
7	उत्तरकाशी	7	10,22,442
8	पौड़ी	5	8,11,086
9	रूड़की	1	30,864
10	कोटद्वार	4	5,04,835
11	टिहरी	10	16,79,450
12	हरिद्वार	3	5,05,825
13	चम्पावत	1	1,44,000
14	रूद्रप्रयाग	2	12,10,000
	योग	**143**	**48,03,38,702**

(परिशिष्ट–11) पैरा–2.9
कोषागारवार आर0बी0डी0 में दर्ज विसंगतियां

क्रम सं0	कोषागार/उपकोषागार	संख्या	डेबिट धनराशि (₹)	संख्या	क्रेडिट धनराशि (₹)
1	अल्मोड़ा	3	45234.00	6	231679.18
2	चमोली	1	24184.00	0	0.00
3	चम्पावत	0	0.00	1	6.00
4	देहरादून	2	109700.00	4	56569.00
5	हल्द्वानी	1	1.00	0	0.00
6	हरिद्वार	1	10.00	1	5970.00
7	नैनीताल	5	550309.00	4	175306.75
8	नई दिल्ली	2	1008881.00	0	0.00
9	नई टिहरी	0	0.00	2	988234.00
10	पौड़ी	3	1204.00	1	38857.00
11	पिथौरागढ़	5	130208.00	6	114354.00
12	रूद्रप्रयाग	1	2871.00	0	0.00
13	उत्तरकाशी	0	0	4	61070.00
14	अज्ञात मदें	5	1036376.00	2	13543501.00
	कुल	**29**	**29,08,978**	**31**	**15215546.93**

(परिशिष्ट–12) पैरा–3.1
वर्ष 2024–25 में निरीक्षण किये गये कोषागारों/उपकोषागारों की सूची

क्रम संख्या	कोषागार/उपकोषागार का नाम	निरीक्षण तिथि
1	अल्मोड़ा	06.05.2024 से 14.05.2024
2	लमगड़ा	15.05.2024 से 17.05.2024
3	दन्या	18.05.2024 से 21.05.2024
4	नई टिहरी	06.05.2024 से 14.05.2024
5	प्रतापनगर	15.05.2024 से 17.05.2024
6	घनसाली	18.05.2024 से 21.05.2024
7	देघाट	13.05.2024 से 15.05.2024
8	सोमेश्वर	16.05.2024 से 18.05.2024
9	रानीखेत	20.05.2024 से 28.05.2024
10	नैनीताल	13.05.2024 से 20.05.2024
11	कालाढूंगी	21.05.2024 से 24.05.2024
12	बेतालघाट	25.05.2024 से 28.05.2024
13	नैनबाग	10.06.2024 से 12.06.2024
14	थत्यूड़	13.06.2024 से 15.06.2024
15	देवप्रयाग	18.06.2024 से 20.06.2024
16	नरेन्द्रनगर	22.06.2024 से 29.06.2024
17	रूद्रप्रयाग	10.06.2024 से 18.06.2024
18	जखोली	19.06.2024 से 21.06.2024
19	अगस्तमुनी	22.06.2024 से 25.06.2024
20	ऊखीमठ	26.06.2024 से 28.06.2024
21	चम्पावत	18.06.2024 से 25.06.2024
22	लोहाघाट	26.06.2024 से 28.06.2024
23	पाटी	29.06.2024 से 02.07.2024
24	देहरादून	03.07.2024 से 15.07.2024
25	चकराता	17.07.2024 से 19.07.2024
26	त्यूनी	20.07.2024 से 23.07.2024
27	उधमसिंह नगर	29.07.2024 से 08.08.2024
28	बाजपुर	09.08.2024 से 13.08.2024
29	गदरपुर	14.08.2024 से 17.08.2024
30	किच्छा	20.08.2024 से 22.08.2024
31	हरिद्वार	20.08.2024 से 28.08.2024
32	हरिद्वार सदर	29.08.2024 से 31.08.2024
33	कोटद्वार	02.09.2024 से 09.09.2024
34	रूड़की	11.09.2024 से 20.09.2024
35	पी0ए0ओ0 नई दिल्ली	09.09.2024 से 18.09.2024

36	पौड़ी गढ़वाल	01.10.2024 से 11.10.2024
37	थैलीसैंण	14.10.2024 से 16.10.2024
38	श्रीनगर	18.10.2024 से 21.10.2024
39	उत्तरकाशी	14.10.2024 से 21.10.2024
40	बडकोट	23.10.2024 से 25.10.2024
41	बागेश्वर	18.11.2024 से 25.11.2024
42	काण्डा	27.11.2024 से 29.11.2024
43	कपकोट	02.12.2024 से 04.12.2024
44	लैन्सडाउन	02.12.2024 से 09.12.2024
45	सतपुली	11.12.2024 से 13.12.2024
46	हल्द्वानी	09.12.2024 से 17.12.2024
47	थल	13.01.2025 से 15.01.2025
48	गंगोलीहाट	17.01.2025 से 20.01.2025
49	बेरीनाग	22.01.2025 से 24.01.2025
50	पिथौरागढ़	27.01.2025 से 03.02.2025
51	साईबर कोषागार देहरादून	13.01.2025 से 20.01.2025
52	चमोली	20.01.2025 से 27.01.2025
53	घाट	29.01.2025 से 31.01.2025
54	गैरसैंण	03.02.2025 से 05.02.2025
55	देवाल	07.02.2025 से 11.02.2025
56	निदेशक, कोषागार देहरादून	21.02.2025 से 01.03.2025
57	धूमाकोट	17.03.2025 से 19.03.2025

(परिशिष्ट–13) पैरा- 3.2.1

नई पेंशन स्कीम के अर्न्तगत कर्मचारियों के वेतन से निर्धारित धनराशि की कटौती नहीं करने वाले कोषागार/उपकोषागार

क्र.सं.	कोषागार/ उपकोषागार का नाम	कर्मचारियों की संख्या	निरीक्षण आख्या संख्या
1.	अगस्त्यमुनि	09	TM/TI/2024-25/19
2.	बाजपुर	02	TM/TI/2024-25/28
3.	गदरपुर	01	TM/TI/2024-25/29
4.	घनसाली	45	TM/TI/2024-25/06
5.	हल्द्वानी	35	TM/TI/2024-25/46
6.	कालाढूंगी	08	TM/TI/2024-25/11
7.	लैन्सडाउन	01	TM/TI/2024-25/44
8.	नैनीताल	09	TM/TI/2024-25/10
9.	टिहरी गढ़वाल	158	TM/TI/2024-25/39
10.	प्रतापनगर	23	TM/TI/2024-25/05
11.	सतपुली	03	TM/TI/2024-25/45
12.	जखोली	04	TM/TI/2024-25/18
13.	रूद्रप्रयाग	37	TM/TI/2024-25/17
14.	ऊखीमठ	21	TM/TI/2024-25/20
15.	उधमसिंह नगर	10	TM/TI/2024-25/27
16.	उत्तरकाशी	04	TM/TI/2024-25/39
17.	गंगोलीहाट	14	TM/TI/2024-25/54
18.	पिथौरागढ़	03	TM/TI/2024-25/50
19.	बेरीनाग	07	TM/TI/2024-25/07
20.	चमोली	35	TM/TI/2024-25/52
21.	गैरसैंण	39	TM/TI/2024-25/54
22.	गंगोलीहाट	14	TM/TI/2024-25/48
23.	पिथौरागढ़	03	TM/TI/2024-25/50
24.	धूमाकोट	04	TM/TI/2024-25/57
		योग **489**	

(परिशिष्ट—14) पैरा— 3.2.3
वित्तीय वर्ष 2024—25 में उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण नहीं किये गये कोषागारों/उपकोषागारों की सूची

क्रमांक	कोषागार/उपकोषागार का नाम
1	अगस्त्यमुनि
2	बड़कोट
3	चकराता
4	देघाट
5	घनसाली
6	हरिद्वार सदर
7	हरिद्वार
8	लैन्सडाउन
9	न्यू टिहरी
10	चम्पावत
11	अल्मोड़ा
12	लोहाघाट
13	पाटी
14	दन्या
15	लमगड़ा
16	सतपुली
17	सोमेश्वर
18	जखोली
19	रूद्रप्रयाग
20	ऊखीमठ
21	त्यूनी
22	उत्तरकाशी
23	रूड़की
24	साईबर कोषागार देहरादून
25	उपकोषागार थल

(परिशिष्ट–15) पैरा– 3.5.1
पेंशनरों को सेवानिवृत्ति लाभों के कम या अधिक भुगतान का विवरण

क्रम सं0	कोषागार/ उपकोषागार	पेंशनर की संख्या	देय राशि (₹) में			कुल देय राशि (₹) में (4) (1+2+3)				कुल भुगतानित राशि (₹) में (8) (5+6+7)	अंतर ;देय. भुगतानित राशि (₹) में (4–8)	सम्बन्धित निरीक्षण आख्या संख्या
			राशिकरण (1)	उपादान (2)	पेंशन (3)		राशिकरण (5)	उपादान (6)	पेंशन (7)			
1	अगस्तमुनि	5	–	69,04,227	–	69,04,227	–	66,96,207	–	66,96,207	2,08,020	TM/TI/2024-25/19
2	बागेश्वर	5	–	37,56,909	–	37,56,909	–	36,53,980	–	36,53,980	1,02,929	TM/TI/2024-25/41
3	बाजपुर	3	–	44,73,369	–	44,73,369	–	42,88,650	–	42,88,650	1,84,719	TM/TI/2024-25/28
4	बड़कोट	5	–	71,56,143	–	71,56,143	–	69,71,217	–	69,71,217	1,84,926	TM/TI/2024-25/40
5	बेतालघाट	2	–	11,45,914	–	11,45,914	–	11,12,958	–	11,12,958	32,956	TM/TI/2024-25/12
6	चकराता	3	–	13,34,181	16,380	13,50,561	–	12,97,728	14,795	13,12,523	38,038	TM/TI/2024-25/25
7	देहरादून	3	–	6,87,368	50,000	737368	–	6,68,536	42,000	7,10,536	26,832	TM/TI/2024-25/24
8	गदरपुर	4	–	64,55,963	–	64,55,963	–	61,91,436	–	61,91,436	2,64,527	TM/TI/2024-25/29
9	घनसाली	4	–	31,69,666	–	31,69,666	–	30,55,070	–	30,55,070	1,14,596	TM/TI/2024-25/06
10	हल्द्वानी	7	12,53,525	67,13,860	–	79,67,385	12,49,024	62,97,759	–	75,46,783	4,20,602	TM/TI/2024-25/46
11	हरिद्वार सदर	2	–	25,76,681	–	25,76,681	–	25,06,087	–	25,06,087	70,594	TM/TI/2024-25/32
12	हरिद्वार	4	–	57,14,148	–	57,14,148	–	55,57,596	–	55,57,596	1,56,552	TM/TI/2024-25/31
13	कालाढूंगी	4	–	24,84,643	11,265	24,95,908	–	23,44,246	11,264	23,55,510	1,40,398	TM/TI/2024-25/11
14	कांडा	2	–	24,86,088	–	24,86,088	–	24,17,976	–	24,17,976	68,112	TM/TI/2024-25/42
15	कपकोट	6	–	48,67,183	–	48,67,183	–	47,47,539	–	47,47,539	1,19,644	TM/TI/2024-25/43
16	किच्छा	2	15,83,124	17,06,414	–	32,89,538	15,49,649	16,58,346	–	32,07,995	81,543	TM/TI/2024-25/30

17	लैन्सडाउन	2	–	29,51,565	–	29,51,565	–	28,22,180	–	28,22,180	1,29,385	TM/TI/2024-25/44
18	नैनीताल	9	–	1,09,50,669	–	1,09,50,669	–	1,06,98,475	–	1,06,98,475	2,52,194	TM/TI/2024-25/10
19	नई टिहरी	5	–	69,36,635	–	69,36,635	–	71,33,492	–	71,33,492	–1,96,857	TM/TI/2024-25/39
20	चम्पावत	5	–	68,40,787	–	68,40,787	–	66,50,217	–	66,50,217	1,90,570	TM/TI/2024-25/21
21	अल्मोड़ा	12	–	1,02,16,254	34,86,085	1,37,02,339	–	99,36,024	25,13,351	1,24,49,375	12,52,964	TM/TI/2024-25/01
22	लोहाघाट	6	–	1,31,028		1,31,028	–	1,19,332	–	1,19,332	11,696	TM/TI/2024-25/22
23	पाटी	6	–	20,81,946	–	20,81,946	–	20,80,364	–	20,80,364	1,582	TM/TI/2024-25/23
24	प्रतापनगर	3	–	30,91,208	–	30,91,208	–	30,12,829	–	30,12,829	78,379	TM/TI/2024-25/05
25	पौड़ी	07	–	1,09,57,430	97,451	1,10,54,881	–	1,06,48,770	88,977	1,07,37,747	3,17,134	TM/TI/2024-25/36
26	दन्या	2	1,39,060	16,65,873	–	18,04,933	1,47,947	16,18,947	–	17,66,894	38,039	TM/TI/2024-25/03
27	लमगड़ा	1	–	9,17,888	–	9,17,888	–	8,92,032	–	8,92,032	25,856	TM/TI/2024-25/02
28	रानीखेत	7	–	55,91,333	17,82,000	73,73,333	–	54,37,167	13,89,465	68,26,632	5,46,701	TM/TI/2024-25/09
29	सतपुली	6	–	8198259	8,91,000	90,89,259	–	79,88,691	4,45,500	8,43,41,91	6,55,068	TM/TI/2024-25/45
30	सोमेश्वर	1	–	–	8,91,000	8,91,000	–	–	3,46,500	3,46,500	5,44,500	TM/TI/2024-25/08
31	थलीसौंण	1	–	–	3,420	3,420	–	–	3,060	3,060	360	TM/TI/2024-25/37
32	जखोली	5	–	46,81,562	–	46,81,562	–	45,50,618	–	45,50,618	1,30,944	TM/TI/2024-25/18
33	ऊखीमठ	5	–	74,37,779	–	74,37,779	–	72,03,845	–	72,03,845	2,33,934	TM/TI/2024-25/20
34	त्यूनी	2	–	1,58,660	–	15,86,601	–	15,30,009	–	15,30,009	56,592	TM/TI/2024-25/26
35	उधमसिंहनगर	13	–	1,58,67,076	9,170	1,58,76,246	–	1,45,45,845	4,585	1,45,50,430	13,25,816	TM/TI/2024-25/27
36	उत्तरकाशी	5	–	63,90,802	–	63,90,802	–	62,09,654	–	62,09,654	1,81,148	TM/TI/2024-25/39
37	चमोली	4	–	62,85,510	–	62,85,510	–	57,47,980	–	57,47,980	5,37,530	TM/TI/2024-25/52
38	देवाल	4	–	26,54,058	25,000	26,79,058	–	25,58,045	21,000	25,79,045	1,00,013	TM/TI/2024-25/55
39	गैरसैंण	8	–	59,06,357	1,00,000	60,06,357	–	56,43,785	84,000	57,27,785	2,78,572	TM/TI/2024-25/54
40	गंगोलीहाट	13		98,03,430	31,19,305	1,29,22,735		93,85,521	30,68,829	1,24,54,350	4,68,385	TM/TI/2024-25/48
41	थल	6	–	48,84,726	9,85,125	58,69,851	–	46,77,251	9,94,010	56,71,261	1,98,590	TM/TI/2024-25/47
42	पिथौरागढ़	10	–	86,72,536	7,40,776	94,13,312	–	83,85,702	7,39,189	91,24,891	2,88,421	TM/TI/2024-25/50

43	बेरीनाग	11	–	74,15,229	15,57,503	89,72,732	–	71,39,889	14,84,165	86,24,054	3,48,678	TM/TI/2024-25/49
44	घाट	4	–	56,20,742	–	56,20,742	–	51,68,693	–	51,68,693	4,52,049	TM/TI/2024-25/53
45	धूमाकोट	3	–	42,06,654	–	42,06,654	–	40,88,586	–	40,88,586	1,18,068	TM/TI/2024-25/57
46	रूड़की	8	–	76,82,846	–	76,82,846	–	74,62,319	–	74,62,319	2,20,527	TM/TI/2024-25/34

(परिशिष्ट-16) पैरा—3.5.2

अन्य राज्यों के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को चिकित्सा भत्ते का लाभ कम या नहीं दिया जाना।

क्रम सं0	कोषागार/ उपकोषागार का नाम	पेंशनरों की संख्या	राज्य का नाम	सम्बन्धित निरीक्षण आख्या संख्या
1	बड़कोट	01	पश्चिम बंगाल	TM/TI/2024-25/40
2	देघाट	01	हिमाचल प्रदेश	TM/TI/2024-25/07
3	देहरादून	06	गुजरात राज्य	TM/TI/2024-25/24
4	गदरपुर	04	पंजाब राज्य	TM/TI/2024-25/29
5	हरिद्वार सदर	01	पश्चिम बंगाल	TM/TI/2024-25/32
6	हरिद्वार	02	पंजाब सरकार	TM/TI/2024-25/31
7	कपकोट	04	हरियाणा राज्य	TM/TI/2024-25/43
8	किच्छा	01	पंजाब सरकार	TM/TI/2024-25/30
		01	हरियाणा राज्य	
		01	पंजाब सरकार	
9	चम्पावत	01	पंजाब सरकार	TM/TI/2024-25/21
		02	डिफैन्स पेंशनर	
10	अल्मोड़ा	02	हरियाणा सरकार	TM/TI/2024-25/01
		02	गुजरात सरकार	
11	लोहाघाट	01	झारखण्ड सरकार	TM/TI/2024-25/22
12	लमगड़ा	01	आसाम सरकार	TM/TI/2024-25/02
13	रानीखेत	01	हिमाचल प्रदेश	TM/TI/2024-25/09
14	सोमेश्वर	02	अरूणाचल प्रदेश	TM/TI/2024-25/08
		01	हिमाचल प्रदेश	
15	श्रीनगर	02	हरियाणा राज्य	TM/TI/2024-25/38
		02	गुजरात राज्य	
16	थलीसैंण	05	पंजाब सरकार	TM/TI/2024-25/37
		04	हरियाणा राज्य	
17	उत्तरकाशी	02	पंजाब सरकार	TM/TI/2024-25/39
18	रूड़की	01	राजस्थान सरकार	TM/TI/2024-25/34
19	गंगोलीहाट	03	पश्चिम बंगाल	TM/TI/2024-25/48
20	थल	01	गुजरात सरकार	TM/TI/2024-25/47
		01	पंजाब सरकार	
21	पिथौरागढ़	04	झारखण्ड सरकार	TM/TI/2024-25/50
22	देवाल	01	पंजाब सरकार	TM/TI/2024-25/55
	योग	**61**		

(परिशिष्ट-17) पैरा- 3.5.3

डाटा बेस में पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की जन्मतिथि को अंकित न किया जाना।

क्रम सं0	कोषागार/उपकोषागार का नाम	पेंशनरों की संख्या	निरीक्षण आख्या संख्या
1.	अगस्त्यमुनि	12	TM/TI/2024-25/19
2.	बागेश्वर	16	TM/TI/2024-25/41
3.	बाजपुर	10	TM/TI/2024-25/28
4.	बेतालघाट	03	TM/TI/2024-25/12
5.	देहरादून	14	TM/TI/2024-25/24
6.	देवप्रयाग	10	TM/TI/2024-25/15
7.	हरिद्वार सदर	02	TM/TI/2024-25/32
8.	हरिद्वार	23	TM/TI/2024-25/31
9.	कालाढूंगी	01	TM/TI/2024-25/11
10.	कांडा	02	TM/TI/2024-25/42
11.	कपकोट	07	TM/TI/2024-25/43
12.	नैनीताल	08	TM/TI/2024-25/10
13.	नरेन्द्रनगर	10	TM/TI/2024-25/16
14.	लोहाघाट	06	TM/TI/2024-25/22
15.	पाटी	01	TM/TI/2024-25/23
16.	पौडी गढ़वाल	09	TM/TI/2024-25/36
17.	दन्या	02	TM/TI/2024-25/03
18.	लमगड़ा	08	TM/TI/2024-25/02
19.	सतपुली	12	TM/TI/2024-25/45
20.	सोमेश्वर	10	TM/TI/2024-25/08
21.	श्रीनगर	09	TM/TI/2024-25/38
22.	थलीसैंण	06	TM/TI/2024-25/37
23.	थत्यूड़	01	TM/TI/2024-25/14
24.	रूद्रप्रयाग	04	TM/TI/2024-25/17
25.	ऊखीमठ	12	TM/TI/2024-25/20
26.	उधमसिंह नगर	07	TM/TI/2024-25/27
27.	उत्तरकाशी	12	TM/TI/2024-25/39
28.	रूड़की	04	TM/TI/2024-25/34
29.	गंगोलीहाट	04	TM/TI/2024-25/48
30.	बेरीनाग	02	TM/TI/2024-25/49
31.	पिथौरागढ़	04	TM/TI/2024-25/50
32.	घाट	02	TM/TI/2024-25/53
33.	गैरसैंण	03	TM/TI/2024-25/54
	योग	**236**	

(परिशिष्ट–18) पैरा–3.7

सैनिक पेंशनरों को **Defence Pension Disbursement Officer (DPDO)** देहरादून को हस्तानांतरित नहीं किया जाना।

कोषागार / उपकोषागार का नाम	कम सं0	नाम	पी.पी.ओ.सं0
बड़कोट	1.	श्री दलीप सोनर	M07S00133
	2.	श्री गन्धर्व सिंह	M07S00130
	3.	श्री इन्द्र दत्त	M07S00125
	4.	श्री केरू दास	M07S00126
	5.	श्री शंकर लाल	M07S00129
देहरादून	1.	श्री हितेन्द्र सिंह क्षेत्री	M01F06516
	2.	श्रीमती लीला देवी	M06F00692
	3.	श्रीमती गंगा देवी	M06F00695
	4.	श्रीमती कलावती	M06F00698
	5.	श्रीमती विद्या देवी	M14F00355
किच्छा	1.	श्री गुलाब सिंह	M13S09795
	2.	श्री बची सिंह	M13S09737
	3.	श्री शम्भू सिंह	M13S10558
	4.	श्री गुरनाम सिंह	M13S09938
	5.	श्री खड़क सिंह	M13S07630
	6.	श्री तारा सिंह	M13S10466
	7.	श्री लाल सिंह	M13S07625
	8.	श्री हरक सिंह	M13S10016
	9.	श्री बिरेन्द्र कुमार	M13S10622
	10.	श्री नारायण सिंह	M13S01658
	11.	श्री पूरन सिंह	M13S07627
	12.	श्री लक्ष्मण सिंह	M13S01901
	13.	श्री धर्मानन्द	M13S07629
उत्तरकाशी	1.	श्री लखी राम	M07S00193
	2.	श्री बिशलमनी	M06S03565
	3.	श्री भारत सिंह	M07S00096
	4.	श्री दयाल सिंह	M07S00036
	5.	श्री किशन सिंह	M06S03563

	6.	श्री शेर सिंह	M07S00069
	7.	श्री हरि सिंह	M07S00086
	8.	श्री लखी राम	M07S00080
	9.	श्री पिताम्बर	M07S00085
	10.	श्री बिशन सिंह	M07S00042
	11.	श्री उत्तम चन्द	M07S00083
	12.	श्री झगर सिंह	M07S00029
	13.	श्री रूद्रेश्वर प्रसाद	M07S00038
	14.	श्री कली प्रसाद	M07S00079
	15.	श्री भारत सिंह	M07S00035
	16.	श्री उमेद सिंह	M07S00040
गंगोलीहाट	1.	श्री धर्म सिंह	M01S01924
	2.	श्री मदन सिंह	M01S00145
	3.	श्री धर्म सिंह	M01S01786
	4.	श्री दलीप सिंह	M01S01829
	5.	श्री चन्द्र सिंह	M01S01871
	6.	श्री पदम सिंह	M01S01920
	7.	श्री धर्म सिंह	M01S00573
थल	1.	श्री अर्जुन चन्द	M01S01833
	2.	श्री श्याम सिंह	M01S01743
	3.	श्री खुशल सिंह	M01S01733
	4.	श्री खीम सिंह	M01S01732
	5.	श्री शेर सिंह	M01S03195
गैरसैंण	1.	श्रीमती धौली देवी	M02S03297
	2.	श्री मनोहर सिंह	M02S06969
	3.	श्री बिजयी सिंह सिलकोटी	M13S03485
	4.	श्रीमती जशोदा देवी	M14F01567
	5.	श्रीमती परी देवी	M14F01582
	6.	श्रीमती चीमनी देवी	M14F01595
	7.	श्रीमती गंगा देवी	M14F01615
	8.	श्रीमती रामेश्वरी देवी	M14F01701
	9.	श्रीमती साका देवी	M14F04960

(परिशिष्ट–19) पैरा–3.11

कोषागार/उपकोषागार के अन्तर्गत आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा आहरित अग्रिम (AC Bill) के समायोजन के संबंध में।

कोषागार/उपकोषागार का नाम	क्रम सं0	डी0डी0ओ0 का नाम	ए0 सी0 वाउचर/ डी0 सी0 वाउचर	दिनांक	धनराशि (₹) में
अगस्त्यमुनि	1.	प्रधानाचार्य रा0 उ0 मा0 विद्यालय बौंसांल, अगस्त्यमुनि ।	B22020114 DC-B22020127	14-02 2024 24-07-2024	1,500
				योग	**1,500**
चकराता	1.	प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज क्वासी चकराता, देहरादून।	B22020217 DC-B22020267	11-10-2023 15-07-2024	10,000
	2.	प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज क्वासी चकराता, देहरादून।	B22020216 DC-B22020266	11-10-2023 15-07-2024	10,000
	3.	प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज क्वासी, देहरादून।	B22020787 DC-B22020265	29-02-2024 15-07-2024	11,099
				योग	**31,099**
देहरादून	1.	जिला कमाण्डेन्ट होमगार्डस, देहरादून।	B20700021	10-02-2022	30,84,480
	2.	प्रधान परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, देहरादून	B22100092 DC-B22100562	08-12-2022 25-03-2025	89,103
	3.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, देहरादून।	B20150003 DC-B20150013	21-09-2023 17-10-2024	1,00,000
	4.	मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून।	B24010010 DC-B24010102	05-12-2023 07-03-2025	2,61,000
	5.	मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून।	B24010090 DC-B24010103	21-12-2023 07-03-2025	2,47,500
	6.	मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून।	B24010005 DC-B24010104	05-12-2023 11-03-2025	2,12,000
	7.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, देहरादून।	B20150027 DC-B20150012	30-12-2023 17-10-2024	30,000
	8.	प्रधानाध्यापक राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शमशेरगढ़, देहरादून।	B22020274 DC-B22020772	12-02-2024 20-03-2025	4,582

	9.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, देहरादून।	B20150014 DC-B20150011	21-03-2024 17-10-2024	20,000
	10.	प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इण्टर कालेज ब्रहमपुरी, देहरादून।	B22021377 DC-B2202568	27-03-2024 31-08-2024	1,000
	11.	प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इण्टर कालेज ब्रहमपुरी, देहरादून।	B22021376 DC-B2202569	27-03-2024 31-08-2024	1,000
	12.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, देहरादून।	B20150015 DC-B20150007	18-04-2024 04-03-2025	8,54,000
	13.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, देहरादून।	B20150002 DC-B20150049	12-04-2024 31-03-2025	1,09,000
	14.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, देहरादून।	B20150003 DC-B20150047	12-04-2024 21-03-2025	1,09,000
	15.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, देहरादून।	B20150004 DC-B20150026	12-04-2024 24-02-2025	60,000
	16.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, देहरादून।	B20150005 DC-B20150027	12-04-2024 24-02-2025	20,72,700
	17.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, देहरादून।	B20150006 DC-B20150032	12-04-2024 19-03-2025	9,40,000
	18.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, देहरादून।	B20150007 DC-B20150005	12-04-2024 04-03-2025	3,93,500
	19.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, देहरादून।	B20150008 DC-B20150006	12-04-2024 04-03-2025	2,13,500
	20.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, देहरादून।	B20150010 DC-B20150034	12-04-2024 20-03-2025	69,94,900
	21.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, देहरादून।	B20150011 DC-B20150046	12-04-2024 21-03-2025	57,98,800
	22.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, देहरादून।	B20150001 DC-B20150048	12-04-2024 21-03-2025	65,100
	23.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, देहरादून।	B20150010 DC-B20150091	18-05-2024 30-03-2025	30,00,000
	24.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, देहरादून।	B20150053 DC-B20150033	31-03-2024 19-03-2025	5,00,000
				योग	**2,51,61,165**

हल्द्वानी	1.	वन प्रशिक्षण संस्थान।	B24060034 DC-B24060001	30-05-2023 01-11-2023	5,00,000 88,887
	2.	वन प्रशिक्षण संस्थान।	B24060033 DC-B24060002	30-05-2023 01-11-2023	5,00,000 1,24,738
	3.	वन प्रशिक्षण संस्थान।	B24060046 DC-B24060083	08-06-2023 26-08-2023	5,00,000
	4.	वन प्रशिक्षण संस्थान।	B24060036 DC-B24060161	12-06-2023 24-11-2023	5,00,000
	5.	वन प्रशिक्षण संस्थान।	B24060037 DC-B24060162	12-06-2023 24-11-2023	5,00,000
	6.	National Cadet Core (NCC)	B22020064 DC-B22020073	01-07-2023 30-09-2023	1,00,000
					योग **26,00,000**
हरिद्वार	1.	प्राचार्य प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हरिद्वार।	B25150044 DC-B25150205	28-06-2023 18-12-2024	9,794
	2.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, हरिद्वार।	B20150108 DC-B20150011	28-03-2024 16-11-2024	16,50,000
	3.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, हरिद्वार।	B20150105 DC-B20150008	28-03-2024 24-10-2024	7,84,000
	4.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, हरिद्वार।	B20150104 DC-B20150012	28-03-2024 18-11-2024	97,58,000
	5.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, हरिद्वार।	B20150112 DC-B20150006	28-03-2024 08-11-2024	11,36,000
	6.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, हरिद्वार।	B20150116 DC-B20150047	28-03-2024 11-07-2024	5,00,000
	7.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, हरिद्वार।	B20150106 DC-B20150048	28-03-2024 11-07-2024	7,70,000
	8.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, हरिद्वार।	B20150110 DC-B20150007	28-03-2024 08-11-2024	22,32,000
				योग	**1,68,39,794**
नरेन्द्रनगर	1.	प्रधानाचार्य रा0 इ0 का0 भकोट, नरेन्द्रनगर।	B22020058 DC-B22020033	12-07-2023 12-07-2024	8,50
	2.	प्रधानाचार्य रा0 इ0 का0 भकोट, नरेन्द्रनगर।	B22020057 DC-B22020035	12-07-2023 12-07-2024	8,50

	3.	प्रधानाचार्य रा0 इ0 का0 भकोट, नरेन्द्रनगर।	B22020026 DC-B22020032	12-07-2023 12-7-2024	8,50
	4.	प्रधानाचार्य रा0 इ0 का0 भकोट, नरेन्द्रनगर।	B22020076 DC-B22020034	12-07-2023 12-07-2024	8,50
				योग	**3,400**
रामनगर	1	सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रामनगर, नैनीताल।	B22020464 DC-B22020360	23-01-2024 23-08-2024	89,71,000
	2.	सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रामनगर, नैनीताल।	B22020219 DC-B22020363	01-02-2024 23-08-2024	84,71,000
	3.	सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रामनगर, नैनीताल।	B22020579 DC-B22020478	22-02-2024 31-08-2024	27,23,000
	4.	सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रामनगर, नैनीताल।	B22020497 DC-B22020123	14-03-2024 10-07-2024	17,840
	5.	सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रामनगर, नैनीताल।	B22020498 DC-B22020124	14-03-2024 10-07-2024	24,800
				योग	**2,02,04,640**
नैनीताल	1.	जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी, नैनीताल।	B22250069	20-02-2023	7,92,000
	2.	उप शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक नैनीताल।	B22021082 DC-B22020081	27-03-2024 05-09-2024	27,000
	3.	उप शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक नैनीताल।	B22021081 DC-B22020082	27-03-2024 05-09-2024	13,300
	4.	उप शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक नैनीताल।	B22021080 DC-B22020080	27-03-2024 05-09-2024	3,18,186
	5.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, नैनीताल।	B20150003 DC-B20150015	11-03-2024 28-09-2024	3,75,000
	6.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, नैनीताल।	B20150054 DC-B20150016	27-03-2024 28-09-2024	1,70,000
	7.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, नैनीताल।	B20150066 DC-B20150018	28-03-2024 28-09-2024	2,10,000
	8.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, नैनीताल।	B20150059 DC-B20150017	28-03-2024 28-09-2024	2,96,910

	9.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, नैनीताल।	B20150070 DC-B20150013	28-03-2024 23-09-2024	7,33,795
	10	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, नैनीताल।	B20150069 DC-B20150020	28-03-2024 15-02-2025	15,26,105
	11.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, नैनीताल।	B20150063 DC-B20150012	28-03-2024 16-10-2024	59,41,673
	12.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, नैनीताल।	B20150064 DC-B20150008	28-03-2024 10-10-2024	5,75,772
	13.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, नैनीताल।	B20150067 DC-B20150014	28-03-2024 22-10-2024	26,33,614
				योग	**1,36,13,355**
चम्पावत	1.	प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज सिप्टी, चम्पावत।	B22020179 DC-B22020152	24-10-2022 30-07-2024	4,876
	2.	प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज सिप्टी, चम्पावत।	B22020177 DC-B22020151	07-08-2023 30-07-2024	2,000
	3.	प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज सिप्टी, चम्पावत।	B22020176 DC-B22020150	07-08-2023 30-07-2024	10,000
	4.	प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज सिप्टी, चम्पावत।	B22020175 DC-B22020149	07-08-2023 30-07-2024	10,000
	6.	मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत।	B24010031 DC-B24010002	07-03-2024 04-03-2025	3,23,000
	7.	मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत।	B24010113 DC-B24010003	25-03-2024 04-03-2025	2,00,000
	8.	मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत।	B24010034 DC-B24010001	18-09-2023 04-03-2025	4,50,000
	9.	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत।	B24030006 DC-B24030022	07-12-2023 28-08-2024	6,30,000
	10.	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत।	B24030005 DC-B24030023	07-12-2023 28-08-2024	6,30,000
	11.	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत।	B24030004 DC-B24030024	07-12-2023 28-08-2024	3,60,000

	12.	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत।	B24030063 DC-B24030003	07-12-2023 07-09-2024	35,91,000
	13.	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत।	B24030002 DC-B24030026	07-12-2023 28-08-2024	27,00,000
	14.	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत।	B24030001 DC-B24030025	07-12-2023 28-08-2024	47,25,000
	15.	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत।	B24030057 DC-B24030024	21-03-2024 18-01-2025	12,00,000
	16.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, चम्पावत।	B20150032 DC-B20150003	30-03-2024 12-09-2024	2,00,000
	17.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, चम्पावत।	B20150036 DC-B20150004	31-03-2024 12-09-2024	1,72,000
	18.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, चम्पावत।	B20150010 DC-B20150002	15-04-2024 10-10-2024	1,03,200
	19.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, चम्पावत।	B20150002 DC-B20150006	08-04-2024 30-09-2024	1,02,000
	20.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, चम्पावत।	B20150008 DC-B20150005	15-04-2024 30-09-2024	1,72,000
				योग	**1,55,85,076**
लोहाघाट	5.	कृषि और मृदा संरक्षण लोहाघाट, चम्पावत।	B24010029	20-09-2023	4,11,500
					4,11,500
अल्मोड़ा	1.	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा।	B24030001	20-06-2023	3,84,3000
	2.	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा।	B24030004	20-06-2023	4,72,5000
	3.	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा।	B25150230	22-11-2023	50,00,000
				योग	**1,35,68,000**
पौड़ी गढ़वाल	1.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, पौड़ी।	B20150003 DC-B20150022	08-04-2024 16-11-2024	4,72,500
				योग	**4,72,500**
थलीसैंण	1.	प्रधानाध्यापक रा0 उ0 मा0 वि0 बड़ेथ थलीसैंण, पौड़ी।	B22020432 DC-B22020525	19-02-2024 28-12-2024	11,000
	2.	प्रधानाध्यापक रा0 उ0	B22020431	19-02-2024	11,000

		मा0 वि0 बड़ेथ थलीसैंण, पौड़ी।	DC-B22020526	28-12-2024	
	3.	प्रधानाध्यापक रा0उ0मा0वि0 बड़ेथ थलीसैंण, पौड़ी।	B22020430 DC-B22020310	19-02-2024 20-01-2025	2,000
	4.	खण्ड शिक्षा अधिकारी थलीसैंण, पौड़ी।	B22020308 DC-B22020207	22-07-2024 09-01-2025	707
				योग	**24,707**
रूद्रप्रयाग	1.	महाप्रबन्धक जिला उद्योग केंद्र, रूद्रप्रयाग।	B28510002 DC-B28510004	08-02-2024 07-11-2024	5,08,296
	2.	महाप्रबन्धक जिला उद्योग केंद्द, रूद्रप्रयाग।	B28510021 DC-B28510002	26-02-2024 07-11-2024	40,00,000
	3.	महाप्रबन्धक जिला उद्योग केंद्द, रूद्रप्रयाग	B28510003 DC-B28510006	08-02-2024 07-11-2024	24,333
	4.	महाप्रबन्धक जिला उद्योग केंद्र, रूद्रप्रयाग।	B28510004 DC-B28510005	08-02-2024 07-11-2024	20,495
	5.	महाप्रबन्धक जिला उद्योग केंद्र, रूद्रप्रयाग।	B28510006 DC-B28510008	08-02-2024 25-10-2024	17,100
	6.	महाप्रबन्धक जिला उद्योग केंद्र, रूद्रप्रयाग।	B28510007 DC-B28510003	08-02-2024 07-11-2024	1,05,394
	7.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, रूद्रप्रयाग।	B20150009 DC-B20150014	08-04-2024 10-06-2024	2,00,000
	8.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, रूद्रप्रयाग।	B20150011 DC-B20150023	12-04-2024 09-07-2024	4,28,400
				योग	**53,04,018**
अगस्त्यमुनि	7.	प्रधानाचार्य रा0उ0मा0 विघालय बौंसाल अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग।	B22020114 DC-B20150022	14-02-2024	1,500
				योग	**1,500**
उत्तरकाशी	1.	जिला युवा कल्याण एवं पी०आर०डी0 अधिकारी ।	B22040001 DC-B22040006	16-01-2025 16-01-2025	35,82,450
	2.	जिला युवा कल्याण एवं पी०आर०डी अधिकारी ।	B22040002 DC-B22040007	12-04-2024 16-01-2025	3,00,000
				योग	**38,82,450**

पिथौरागढ़	1.	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।	B40590018	15-03-2022	30,18,000
	2.	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।	B20530100	28-03-2022	10,81,292
	3.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पिथौरागढ़।	B20150036 DC-B20150019	21-03-2024 13-02-2025	6,00,000
	4.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पिथौरागढ़।	B20150038 DC-B20150016	21-03-2024 12-03-2025	43,38,243
	5.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पिथौरागढ़।	B20150002 DC-B20150034	12-04-2024 15-02-2025	29,65,600
	6.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पिथौरागढ़।	B24030003 DC-B24030083	23-10-2024 29-03-2025	42,91,406
				योग	**1,62,94,541**
				कुल योग	**13,39,99,245**